मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन
2019 - 2020

वन विभाग, मध्यप्रदेश

वर्ष 2019–20

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

विभाग का नाम	: वन विभाग
माननीय वन मंत्री	: श्री उमंग सिंघार

सचिवालय

अपर मुख्य सचिव	: श्री के.के. सिंह 02.05.2018 से 22.08.2019 तक श्री ए.पी. श्रीवास्तव 22.08.2019 से निरन्तर
सचिव	: कैप्टन अनिल खरे 27.07.2017 से 30.07.2019 तक श्री संजय मोहरिर 01.08.2019 से 13.08.2019 तक (प्रभार में) श्री एच.एस. मोहन्ता 13.08.2019 से निरन्तर
पदेन सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	: श्री संजय मोहरिर 24.07.2018 से निरंतर
अपर सचिव	: श्री अतुल मिश्रा 24.07.2018 से निरंतर
उप सचिव	: श्री राजेश ओगरे 24.06.2019 से निरंतर
अवर सचिव	: श्रीमति विजया पुनवटकर 04.09.2018 से निरंतर

विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं वन बल प्रमुख, म.प्र.	: श्री जे.के. मोहन्ती 10.01.2019 से 30.09.2019 तक डॉ. यू. प्रकाशम 01.10.2019 से निरन्तर

प्रशासकीय प्रतिवेदन वर्ष 2019–20

विषय क्रम

क्रमांक		पृष्ठ क्रमांक
	भाग –1	
	अध्याय– एक	
1.1	सामान्य	01
1.2	विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय	03
1.3	प्रशासित अधिनियम	03
	अध्याय–दो	
1.4	विभागीय संरचना	05
	स्थापना	08
	सतर्कता एवं शिकायत	12
	मानव संसाधन विकास	12
	नीति विश्लेषण	15
	संयुक्त वन प्रबंधन	15
	ग्रीन इंडिया मिशन	18
	निगरानी एवं मूल्यांकन	22
	प्रोजेक्ट	24
	अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी	24
	भू–प्रबंध	27
	कैम्पा	31
	सूचना प्रौद्योगिकी	36
	वन संरक्षण	44
	उत्पादन	48
	वन्यप्राणी प्रबंधन	50
	कार्य आयोजना	58
	वन भू–अभिलेख	59
	समन्वय	62
	अध्याय तीन	
1.5	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम	63
1.6	मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ	74
1.7	राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर	82
1.8	मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड	91
1.9	मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड	99
1.10	मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन	104

भाग–2
बजट विहंगावलोकन

2.1 आयोजना व्यय 108
2.2 आयोजनेत्तर व्यय एवं राजस्व 114

भाग–3
योजनाएं

3.1 कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन 116
3.2 अधोसंरचना का सुदृढीकरण 117

भाग–4

4.1 पुरस्कार 119
4.2 महत्वपूर्ण सांख्यिकी 121

भाग–5

विभाग के प्रकाशन 123

भाग–6
परिशिष्ट

1 क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण 124
2 कार्य पालिक पदो की वृत्तवार, पदवार जानकारी 125
3 लिपिकिय पदो की वृत्तवार, पदवार जानकारी 126
4 विविध एवं चर्तुथ क्षेणी वृत्तवार, पदवार जानकारी 127
5 वर्षवार विभिन्न गैर वानिकी कार्यों के उपयोग हेतु व्यपवर्तित वन भूमि 128
6 वर्ष 2019 में अंतिम चरण स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण प्रकरण 130
7 वर्ष 2019–20 मे प्राधिकरण के अंतर्गत प्रचलित कार्यों की सूची 131
8 वृत्तवार/वर्षवार अवैध कटाई के प्रकरण 133
9 वृत्तवार/वर्षवार अवैध चराई के प्रकरण 134
10 वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन के प्रकरण 135
11 वृत्तवार/वर्षवार अतिक्रमण के प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र 136
12 वृत्तवार/वर्षवार अवैध अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरण एव प्रभावित क्षेत्र 137
13 वृत्तवार/वर्षवार दर्ज वन अपराध प्रकरण 138
14 वृत्तवार/वर्षवार अवैध परिवहन मे जप्त वाहनों की संख्या 139
15 वृत्तवार/वर्षवार न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण 140
16 वृत्तवार/वर्षवार वन अपराध में वसूल राशि 141
17 वृत्तवार/वर्षवार अग्नि प्रभावित क्षेत्र 142
18 वृत्तवार/वर्षवार म0प्र0 काष्ठ चिरान अधिनियम के उल्लंघन के प्रकरण 143
19 प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों की सूची 144
20 मध्यप्रदेश में वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्रो की अधिसूचना 145
21 मध्यप्रदेश के संरक्षित क्षेत्र एवं उनकी प्रबंध योजना की अवधि का विवरण 147
22 कार्यालयीन व्यवस्था व्यय स्वीकृत बजट वर्ष 2019–20 149
23 मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के शासकीय एवं अशासकीय सदस्य 151
24 भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून से प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार वनाच्छादन 152

भाग–1

अध्याय – एक

1.1 सामान्य

भारत के हृदय स्थल के रुप में स्थित मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विशेषकर वन एवं वन्यप्राणियों की विविधता के लिये जाना जाता है। मृदा और जल के संरक्षक के रुप में वनों की महत्ता अद्वितीय है। मध्यप्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनका जलग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर आधारित जनसंख्या का पोषण कर पाती है। यहॉ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले सागौन, मिश्रित तथा साल के वन है। मंडला, डिण्डोरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल वन हैं चंबल क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी, भिण्ड तथा दतिया में करधई तथा झाड़ीदार वन है, तथा शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन है। वनों से लकड़ी के अलावा बांस एवं प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की लघुवनोंपज एवं औषधीय प्रजातियॉ मिलती हैं। प्रदेश औषधीय पौधों के समृद्ध संसाधनों से भी परिपूर्ण है। चूँकि वनों में तथा वनों की सीमा के आस–पास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण जनता का बहुत बड़ा भाग वनों पर निर्भर है, अतः वन विभाग का प्रमुख दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से इस तरह प्रबंधन करना है कि न सिर्फ ग्रामवासियों को वनों से जीविकापार्जन का स्त्रोत निरंतर बना रहे, बल्कि प्रबंधन में उनकी भागीदारी भी सशक्त हो और वन एक प्राकृतिक धरोहर के रुप में संवहनीय, संरक्षित एवं संवर्द्धित संसाधन के रुप में विकसित करता रहे।

मध्यप्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 से ही वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन प्रारंभ हो गया था और संभवतः मध्यप्रदेश भारत का पहला राज्य है जहां भारत की प्रथम वन नीति 1894 से ही वर्किंग प्लान बनाने का कार्य प्रारंभिक स्तर पर चालू किया गया था। इस गौरवमय परम्परा को आगे बढ़ाने में आज भी वन विभाग गौरवान्वित महसूस करता है।

वर्तमान में वन विभाग में शासन स्तर पर वनमंत्री की सहायता अपर मुख्य सचिव, सचिव, पदेन सचिव, अपर सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव के दल द्वारा की जाती है। वन विभाग के अधीन विभिन्न गतिविधियां विभिन्न शाखा प्रमुखों के माध्यम से संचालित की जाती है, जिनके मध्य समन्वय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख करते हैं।

1.1.1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा प्रदेश के वनों के संरक्षण एवं संवर्धन कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। साथ ही वे अन्य विभाग प्रमुख एवं विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल, उपक्रम एवं संस्थाओं के साथ समन्वय करते हैं।

1.1.2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों व अभयारण्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है तथा वैज्ञानिक आधार पर पूरे प्रदेश में वन्यप्राणियों का संरक्षण किया जाता है।

1.1.3 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) द्वारा प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु कार्य आयोजनाओं का पुनरीक्षण तथा वन भू–अभिलेख का संधारण किया जाता है।

1.1.4 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) द्वारा कार्य आयोजनाओं के प्रावधानों के अनुसार कूपों से इमारती लकड़ी, जलाऊ, बॉस एवं खैर का वन वर्धन के अनुसार विदोहन एवं व्यापार किया जाता है तथा वनों के समीप बसे ग्रामीणों की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निस्तार व्यवस्था की जाती है। विभाग के राजस्व लक्ष्य की पूर्ति का मुख्य दायित्व इन्हीं का है।

भारत सरकार द्वारा भारतीय वन सेवा के कैडर प्रबंधन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 2015 के अनुक्रम में राज्य शासन के निर्देशानुसार विभाग की अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का नियंत्रण प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी करते हैं।

1.1.5 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी)** द्वारा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वन क्षेत्रों का विस्तार एवं वन के प्रबंधन में जनभागीदारी सुनिश्चित की जाती है।

1.1.6 **विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)** द्वारा विभाग अन्तर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं वन विकास की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

1.1.7 **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बांस मिशन** के द्वारा बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत् नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन कराया जाता है।

1.1.8 **विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाएं**

1. **मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम** – राष्ट्रीय कृषि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट, 'प्रोडक्शन फॉरेस्ट्रीः मैन–मेड फॉरेस्ट्स' (1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई, 1975 को की गई थी। म.प्र. राज्य वन विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वनक्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. **मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ** – मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ का गठन 1984 में किया गया। प्रदेश में लघु वनोपज का संग्रहण एवं व्यापार इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 1989 में इस व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और लघु वनोपज के संग्रहण कार्य में संलग्न प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्ग के ग्रामीणों की आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु वनोपज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।
3. **राज्य वन अनुसंधान संस्थान** – राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर, वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। यह संस्थान वन, वनस्पति, वनवर्धन, वृक्ष सुधार, बीज तकनीकी, जैव विविधता, वन आनुवांशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, वनोपज विपणन, वन विस्तार, वन मापिकी, वन पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव आदि विषयों में शोध एवं तकनीक विकसित कर उनके प्रचार–प्रसार का कार्य करता है।
4. **मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड** – राज्य शासन द्वारा जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल 2005 से किया गया जिसे अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2014 से वन विभाग, मध्य प्रदेश शासन से संबद्ध किया गया है। बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित एवं सम्यक वितरण सुनिश्चित करना है।
5. **मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड** – वन विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश ईकोपर्यटन विकास बोर्ड एक स्वशासी संस्था है, जिसका गठन 12 जुलाई, 2005 को म.प्र. सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत किया गया। बोर्ड द्वारा ईकोपर्यटन गतिविधियों का विस्तार किया जाता है।
6. **मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन** – मध्यप्रदेश राज्य बांस मिशन का गठन 03 जुलाई 2013 को राष्ट्रीय बांस मिशन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन द्वारा प्रदेश में बांस आधारित उद्यमिता एवं विकास योजनाओं के तहत नर्सरी विकास, बिगड़े बांस वनों का सुधार, बांस रोपण, बांस शिल्पकारों का दक्षता निर्माण, कार्यशाला तथा बांस बाजार का आयोजन किया जा रहा है।

1.1 विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय

वन विभाग का दायित्व वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है, ताकि वनों की संवहनीयता बनाए रखते हुए उनसे वन उत्पाद प्राप्त किया जा सके, स्थानीय लोगों को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें, तथा वन आधारित उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति की जा सके। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए वन विभाग की निम्नानुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं –

1. राज्य में वनों की जैव विविधिता का संरक्षण, जिसमें वन्य पशुओं एवं वनस्पति का संरक्षण सम्मिलित है।
2. राज्य के वन, जिसमें रोपण सम्मिलित हैं, उनका संरक्षण, संवर्धन, सीमांकन, विकास, गैर–वानिकी उपयोग, वनोपज निकासी, चराई एवं अन्य निस्तार सुविधाओं का निर्धारण।
3. संयुक्त वन प्रबंध के संबंध में विभिन्न अधिनियम तथा नियमों के अनुसार नीति निर्धारण।
4. जनहानि, पशु हानि के संबंध मे नियमन तथा हिंसक हुए वन पशुओं के आखेट के लिये नियम।
5. वन तथा वन्य प्राणी विषयक।
6. गैर–वानिकी क्षेत्रों में वानिकी गतिविधियों का विस्तार।
7. भारतीय वन सेवा, राज्य वन सेवा और कार्यपालिक, लिपिकीय एवं अन्य विविध सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय, जिनसे विभाग का संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित विषयों को छोड़कर)।

उदाहरणार्थ :– नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानान्तरण, वेतन, अवकाश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, भविष्य निधि, प्रतिनियुक्ति, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

1.3 प्रशासित अधिनियम

1. **भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16/1927)** – यह अधिनियम वनों की उपज की अभिवहन और इमारती लकड़ियों तथा वन–उपज पर उगाहने योग्य शुल्क से संबंधित विधि के समेकन के लिए अधिनियम है। यह अधिनियम मध्य प्रदेश में 01 नवम्बर 1956 से प्रभावशील है। ग्राम वन एवं संरक्षित वन के संवर्धन एवं प्रबन्धन में ग्राम वन समितियों की भूमिका को और सशक्त एवं प्रभावी किये जाने के उद्देश्य से उक्त अधिनियम अन्तर्गत मध्यप्रदेश ग्राम वन नियम 2015 तथा मध्यप्रदेश संरक्षित वन नियम 2015 बनाकर दिनांक 04 जून 2015 से प्रभावशील किया गया है।
2. **वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53/1972)** – यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकीय और पर्यावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्यप्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है। यह अधिनियम 09 सितम्बर, 1972 से प्रभावशील है।
3. **म.प्र. काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रमांक 13/1984)** – यह अधिनियम वनों एवं पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये–आरा मिलों की स्थापना और प्रवर्तन – संक्रिया तथा काष्ठ चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिये उपबंध करने हेतु अधि ानियम है। अधिसूचना क्रमांक 3415–ग–3–83 दिनांक 15 दिसम्बर 1983 द्वारा अध्यादेश क्रमांक 11/1983 प्रवृत किया गया था जिसका स्थान मध्य प्रदेश अधिनियम क्रमांक 13/1984 ने ग्रहण किया। अधिनियम क्रमांक 13/1984 को भूतलक्षी प्रभाव देकर 15 दिसम्बर, 1983 से ही प्रवृत किया

गया।

4. **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 69/1980)** – यह अधिनियम वनों के संरक्षण के लिये और उससे जुड़े मामलों के लिए या उसके सहायक या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम है। यह अधिनियम दिनांक 25 अक्टूबर, 1980 से प्रभावशील है।
5. **म.प्र.वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (कमांक 9/1969)** – यह अधिनियम ''विनिर्दिष्ट वनोपज'' के व्यापार विनियमन हेतु है, जो 01 नवम्बर, 1969 से प्रभावशील है।
6. **म.प्र. तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964 (क्रमांक 29/1964)** – यह अधिनियम तेंदूपत्ता के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु है। यह अधिनियम 28 नवम्बर, 1964 से प्रभावशील है।
7. **म.प्र. वन भूमि शाश्वत पट्टा प्रतिसंहरण अधिनियम, 1973** – उक्त अधिनियम मध्य प्रदेश में वन भूमि के समस्त शाश्वत पट्टों का प्रतिसंहरण करने तथा उससे संबंधित विषयों के लिये है। यह अधिनिमय 01 अक्टूबर, 1973 से प्रभावशील है।
8. **म.प्र. लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10/ 2001)** – यह अधिनियम मध्य प्रदेश राज्य में निजी और राजस्व वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों के प्रबंधन तथा उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों को विनियमित करने और सुगम बनाने हेतु है। यह अधिनियम 12 अप्रैल, 2001 से प्रभावशील है।
9. **जैवविविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18/2003)** – यह अधिनियम जैविक संसाधनों और/या सहयुक्त पारंपरिक जानकारी तथा अनुसंधान या जैव सर्वेक्षण तक पहुंच की प्रक्रिया और अनुसंधान के लिए जैव उपयोग हेतु है। यह अधिनियम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 21, नवंबर, 2014 से संशोधित होकर दिनांक 21, नवंबर, 2014 से प्रभावशील है।
10. **म.प्र. आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999** – आदिम जनजातियों को शोषण से बचाने की दृष्टि से उसके खेतों पर खडे हुये वृक्षों में उनके हित का संरक्षण करने के लिये मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 बनाया गया है, जो 24 अप्रैल 1999 से प्रभावशील है।

अध्याय–दो

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(वन बल प्रमुख)

1.4 विभागीय संरचना

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तथा दिशा–निर्देश देते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के कार्यालय के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक तथा उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी विभिन्न शाखाओं के कार्यों का संपादन करते हैं।

मुख्यालय स्तर पर कार्यरत शाखाएं

- समन्वय
- प्रशासन – एक
- प्रशासन – दो
- विकास
- संरक्षण
- उत्पादन
- सूचना प्रौद्योगिकी
- अनुसंधान, विस्तार एवं लोक वानिकी
- वित्त एवं बजट
- सामुदायिक वन प्रबंधन परियोजना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- वन भू–अभिलेख
- कार्य आयोजना
- वन्यप्राणी प्रबंधन
- सतर्कता एवं शिकायत
- प्रोजेक्ट्स
- भू–प्रबंध
- मानव संसाधन विकास
- संयुक्त वन प्रबंधन
- नीति विश्लेषण
- कैम्पा
- ग्रीन इंडिया मिशन

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं से संबंधित कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक के प्रशासकीय नियंत्रण में सम्पन्न करते हैं। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश संवर्ग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) का पद स्वीकृत किया गया है, जिनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश के समस्त वन्यप्राणी संरक्षण क्षेत्र आते हैं। वे वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधी समस्त तकनीकी विषयों को सीधे नियंत्रित करते हैं, साथ ही प्रदेश के विभिन्न वन्यप्राणी एवं क्षेत्रीय वनमण्डलों के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। इसी प्रकार भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/03/2008–AIS–II (A) दिनांक 26.08.2008 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन भू अभिलेख) का पद स्वीकृत है, जिनके कार्य क्षेत्र में कार्य आयोजना के साथ–साथ वन भू अभिलेख शाखा के कार्य आते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वानिकी से संबद्ध विषयों हेतु शासन के तकनीकी सलाहकार होते हैं। विभाग से संबंधित मुद्दों को जिसमें राज्य शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित होती है, उनके द्वारा शासन के संज्ञान में लाया जाता है। इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवा एवं अधीनस्थ वन सेवा से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले भी आवश्यकतानुसार शासन के संज्ञान में लाये जाते हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्य आयोजना क्रियान्वयन, अग्नि सुरक्षा एवं वन वर्धनिक कार्यों जैसे तकनीकी विषयों, लिपिकीय एवं अधीनस्थ कार्यपालिक स्थापना से संबंधित विषयों पर विभाग प्रमुख के रूप में उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों तथा वित्तीय अधिकारों के विषय में अपनी स्वयं की अधिकारिता में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं।

वानिकी विषयों के संबंध में राज्य शासन के प्रधान सलाहकार की भूमिका के साथ–साथ प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख की विभागीय कार्यों के प्रभावी नियंत्रण हेतु वन क्षेत्रों के निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है।

1.4.1 अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय

वन क्षेत्रों का वैज्ञानिक प्रबंधन और वन संसाधन का संरक्षण व संवर्द्धन क्षेत्रीय स्तर पर गठित प्रशासनिक इकाईयों के माध्यम से किया जाता है। क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण तालिका क्रमांक 1.1 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.1

क्षेत्रीय इकाईयों का विवरण

इकाईयों का प्रकार	संख्या
वृत्त	16
वनमंडल	63
उपवनमंडल	135
परिक्षेत्र	473
उप वन परिक्षेत्र	1871
परिसर	8286

परिसर रक्षक अपने प्रभार के परिसर में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों का क्रियान्वयन तथा वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। परिक्षेत्र सहायक अपने उप वनपरिक्षेत्र के प्रभार अन्तर्गत परिसरों में समस्त वन वर्द्धनिक एवं विकास कार्यों के क्रियान्वयन का नियमित तकनीकी पर्यवेक्षण तथा वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी अपने परिक्षेत्र में कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार समस्त क्षेत्रीय वन वर्द्धनिक कार्यों का निष्पादन, वन एवं वन्यप्राणियों का संरक्षण तथा विभागीय क्षेत्रीय विकास कार्यों का संपादन करवाते हैं और इस हेतु किये गये व्यय का लेखा संधारित करते हैं। परिक्षेत्राधिकारी काष्ठगार अधिकारी के रूप में काष्ठागारों में वनोपज की सुरक्षा व्यवस्था एवं विक्रय हेतु प्रबंधन के लिये उत्तरदायी होते हैं।

उप वनमंडलाधिकारी एक या अधिक परिक्षेत्रों से निर्मित क्षेत्रीय इकाई (उपमंडल) के प्रभारी होते है। उपवनमंडलाधिकारी की वन अपराधों के प्रशमन एवं वन अपराध में प्रयुक्त वनोपज, उपकरण, वाहन इत्यादि के राजसात में वन अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी भूमिका है। उपमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उनके उपवनमंडल क्षेत्राधीन वन राजस्व की वसूली हेतु तहसीलदार की शक्ति मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत दी गई है। कार्य आयोजना अन्तर्गत कूपों का चिन्हांकन, सीमाकंन एवं उपचार मानचित्रों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

वनमंडलाधिकारी वनमंडल अन्तर्गत वनों एवं वन्यप्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन, प्रबंधन एवं वित्तीय नियंत्रण हेतु भारसाधक अधिकारी हैं। उनके द्वारा वनमंडल में वन वर्धनिक रूप से उत्पादित काष्ठीय एवं अकाष्ठीय वनोपज का विपणन, निस्तार आपूर्ति, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों एवं वनग्रामों का प्रबंधन किया जाता है।

वन वृत्तों के भारसाधक अधिकारी के रूप में मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त के अंतर्गत समस्त वनमंडलों के क्रियाकलाप, जिसमें कार्य आयोजना का क्रियान्वयन भी शामिल है, पर आवश्यकता अनुसार दिशा– निर्देश देने के दायित्व का निर्वाहन करते हैं।

प्रदेश में वनों की उत्पादकता बढाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में एक–एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कार्य आयोजना के पुनरीक्षण कार्य हेतु 3 कार्य आयोजना (ऑचलिक) तथा 16 कार्य आयोजना इकाईयों की स्थापना की गई है। कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुसार कूपों से वनोपज के विदोहन एवं विक्रय काष्ठागारों के माध्यम से विक्रय हेतु 11 उत्पादन वनमंडलों एव विक्रय इकाई की स्थापना की गई है। इन इकाईयों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर है। क्षेत्रीय इकाईयों की प्रशासनिक नियंत्रण व्यवस्था का विवरण **तालिका क्रमांक 1.2** में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.2

क्षेत्रीय इकाइयों की नियंत्रण व्यवस्था

क्र.	क्षेत्रीय इकाई का विवरण	नियंत्रण अधिकारी
1	परिसर रक्षक (बीट गार्ड)	वन परिक्षेत्र अधिकारी
2	परिक्षेत्र सहायक	
3	वन परिक्षेत्र अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/ वनमंडलाधिकारी (सामान्य/उत्पादन)
4	उप वनमण्डल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन)	
5	वन संरक्षक एवं पदेन वन मंडल अधिकारी/ वन मंडल अधिकारी (सामान्य/उत्पादन) तथा संचालक वन विद्यालय	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) एवं वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी
6	वन परिक्षेत्र अधिकारी (अनुसंधान एवं विस्तार)	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त
	सहायक वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार)	
7	मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक (कार्य आयोजना)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर
8	मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वन वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) म.प्र., भोपाल
9	मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान एवं विस्तार) वृत्त	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (अनुसंधान विस्तार एवं लोक वानिकी) म.प्र., भोपाल
10	क्षेत्र संचालक/संचालक राष्ट्रीय उद्यान	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र., भोपाल
11	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना (आचंलिक) भोपाल, इंदौर, जबलपुर	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन भू–अभिलेख) म.प्र., भोपाल
12	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (मुख्यालय–समस्त) म.प्र., भोपाल	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) मध्यप्रदेश, भोपाल

1.4.2 स्थापना

प्रशासन–1 शाखा वन विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण शाखा है। शाखा में भारतीय वन सेवा के संवर्ग प्रबंधन, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, पदोन्नतियॉ, पदस्थितियॉ/स्थानांतरण संवर्ग के अधिकारियों के न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच, आदि से संबंधित कार्य किये जाते है।

इसी प्रकार शाखा द्वारा राज्य वन सेवा संवर्ग एवं राज्य वन संबद्ध सेवा का प्रबंधन, वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, स्थाईकरण, राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति पदस्थिति/स्थानांतरण, गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण, न्यायालयीन प्रकरण एवं विभागीय जांच से संबंधित समस्त कार्य किये जाते है।

इसके अतिरिक्त शाखा के पेंशन कक्ष द्वारा सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन प्रकरण तैयार करना तथा प्रदेश के समस्त सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों के पेंशन से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रशासकीय संरचना

(अ) भारतीय वन सेवा

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 16016/02/2014 ए.आई.एस.–दो (क) दिनांक 02 जुलाई, 2015 द्वारा मध्यप्रदेश संवर्ग के भारतीय वन सेवा अधिकारियों का संवर्ग पुनरीक्षण किया गया है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 3–26/2012/10–4 दिनांक 01.08.15 से संवर्ग पुनरीक्षण अनुसार नवीन संवर्ग पदो के विरूद्ध दो पद राज्य शासन द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक पद विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) एवं एक पद प्रधान मुख्य वनं सरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण) स्वीकृत किया गया है। इसी प्रकार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के भी दो पद स्वीकृत किये गये हैं।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के प्रमुख प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख के रूप में पदस्थ रहते हैं। इनका कार्य वन बल को नियंत्रित करना एवं राज्य शासन को तकनीकी विषयों में सहयोग देना है। वन विभाग के मुख्यालय में विभिन्न शाखाओं में प्रधान मुख्य वन संरक्षक से लेकर उप वन संरक्षक के अधिकारी पदस्थ रहते हैं जो तकनीकी विषयों में कार्य सम्पादित करते हैं।

क्षेत्रीय पदस्थापना में मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहते हैं जो वन वृत्त में स्थित वन मण्डल कार्यालयों (क्षेत्रीय/उत्पादन) पर नियन्त्रण रखते हैं।

मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी जो अनुसंधान विस्तार वृत्तों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा वृत्त के अन्तर्गत आने वाली वन रोपणियों आदि के कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं।

कार्य आयोजना इकाईयों में वन संरक्षक स्तर के अधिकारी पदस्थ रहतें हैं जो वनमण्डलों हेतु दस वर्षीय कार्य आयोजना तैयार करते हैं।

क्षेत्रीय वनमण्डलों में पदस्थ वनमण्डलाधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, म.प्र. राज्य वन विकास निगम, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, ईको पर्यटन विकास बोर्ड, म.प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर एवं बाँस मिशन आदि संस्थानो में पदस्थ रहतें हैं।

तालिका क्रमांक–1.3
भारतीय वन सेवा (मध्यप्रदेश संवर्ग) की पदस्थिति

(01.03.2020 की स्थिति में)

पद	संख्या	कार्यरत	
		पदों के विरूद्ध	लीव रिजर्व/असंवर्गीय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)	01	01	.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक	04	04	01 (विशेष प्रधान मुख्य वन संरक्षक)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25	22	.
मुख्य वन संरक्षक	51	26	.
वन संरक्षक	40	15	.
उप वन संरक्षक	59	69	02
कुल वरिष्ठ पद	180	136	.
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व	36	15	.
राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व	45	39	.
प्रशिक्षण रिजर्व	06	.	.
लीव रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व (परिवीक्षाधीन)	29	13	.
अन्तर्राज्यीय प्रतिनियुक्ति	.	01	.
निलंबित	.	01	.
कुल प्राधिकृत संख्या	296	206	03

(ब) राज्य वन सेवा

राज्य वन सेवा के अधिकारी क्षेत्रीय वनमण्डलों में उप वनमण्डल स्तर पर, टाइगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यानों/ अभयारण्यों में सहायक संचालक एवं उत्पादन एवं अनुसंधान विस्तर वृत्तों में सहायक वन सरंक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये अधिकारी वनमण्डलाधिकारी को क्षेत्रीय कार्य सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं तथा क्षेत्र में प्रशासकीय नियन्त्रण बनाये रखते हैं। राज्य वन सेवा के लिये स्वीकृत पदों तथा उनके विरूद्ध कार्यरत अधिकारियों के पदों की स्थिति तालिका क्रमांक 1.4 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.4
राज्य वन सेवा की पदस्थिति

(01.03.2020 की स्थिति में)

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	राज्य वन सेवा	359	288	71

(स) म.प्र. राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा– इन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं :–

(1) **लेखाधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी** – ये अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में कार्यालय के नियन्त्रण एवं वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करते हैं।

(2) **विधिक सलाहकार** – विधिक सलाहकार की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति से होती है। इनकी वन विभाग में प्रतिनियुक्ति विधि विभाग द्वारा की जाती है। इनका कार्य न्यायालयीन प्रकरणों में सहयोग प्रदाय करना होता है। वर्तमान में विधिक सलाहकार का पद रिक्त है।

(3) **अनुसंधान अधिकारी** – वन विभाग में अनुसंधान अधिकारी का एक पद कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला हेतु स्वीकृत है। ये अधिकारी कान्हा टाइगर रिजर्व मण्डला में पदस्थ हैं तथा यह वन्यप्राणी अनुसंधान का कार्य संपादित करते हैं।

(4) **प्रचार अधिकारी एवं सहायक संचालक प्रचार** – वन विभाग की गतिविधियों का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार करना तथा मीडिया से सतत संपर्क रखना है।

(5) **संचालक बजट/ उप संचालक बजट/ वित्त अधिकारी** – ये अधिकारी म.प्र. राज्य वित्त सेवा से वन विभाग में पदस्थ किये जाते हैं। इनका कार्य वन विभाग में बजट नियंत्रण एवं बजट संबंधी, कार्यों में विभाग को सहयोग प्रदान करना होता है।

(6) **तकनीकी अधिकारी/ प्रोग्रामर** – ये अधिकारी म.प्र. वन विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य में सहयोग प्रदान करते हैं।

(7) **सहायक शल्य चिकित्सक/ पशु चिकित्सक** – ये अधिकारी म.प्र. राज्य पशु चिकित्सा विभाग से वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किये जाते हैं। इनके द्वारा वन्यप्राणियों की देख–रेख एवं चिकित्सा का कार्य संपादित किया जाता है।

राज्य वन (राजपत्रित) संबद्ध सेवा की पदस्थिति (01.03.2020 की स्थिति में) तालिका क्रमाक – 1.5 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.5

क्र.	संवर्ग का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त
1.	लेखाधिकारी/प्रशासकीय अधिकारी	20	06	14
2.	विधिक सलाहकार (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	00	01
3.	अनुसंधान अधिकारी प्रोजेक्ट टाईगर कान्हा	01	01	00
4.	प्रचार अधिकारी	01	01	00
5.	संचालक, बजट (प्रतिनियुक्ति कोटा)	01	01	01
6.	उप संचालक, बजट/वित्त अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	06	03	03
7.	तकनीकी अधिकारी/प्रोग्रामर	01	00	01
8.	सहायक संचालक, प्रचार	01	00	01
9.	सहायक शल्य चिकित्सक (प्रतिनियुक्ति कोटा)	02	02	00
10.	सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी (प्रतिनियुक्ति कोटा)	10	10	00
	योग	**44**	**23**	**21**

अधीनस्थ कार्यपालिक सेवाएं

प्रशासन – II शाखा द्वारा प्रदेश के समस्त कार्यपालिक अधिकारियों/ कर्मचारियों, लिपिकीय, चतुर्थ श्रेणी तथा विविध कर्मियों का नियंत्रण किया जाता है। प्रदेश में इन वर्गो में स्वीकृत अमले तथा वर्तमान में कार्यरत अमले की जानकारी निम्नानुसार हैः

तालिका क्रमांक – 1.6

पद	वर्ष 2019–2020		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
कार्यपालिक	20670	17044	3626
लिपिकीय	2812	2173	639
चतुर्थ श्रेणी	1165	866	299
विविध	711	417	294

प्रदेश में वृत्तवार स्वीकृत तथा कार्यरत कार्यपालिक अमले की जानकारी परिशिष्ट–2 में संलग्न है। प्रदेश में वृत्तवार स्वीकृत तथा कार्यरत लिपिकीय अमले की जानकारी परिशिष्ट–3 में संलग्न है। प्रदेश में वृत्तवार स्वीकृत तथा कार्यरत चतुर्थ श्रेणी/विविध अमले की जानकारी परिशिष्ट–4 में संलग्न है।

तालिका क्रमाक – 1.7
अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों की जानकारी

विवरण		वर्ष
		2019.20
प्रकरण संख्या		429
निराकृत (नियुक्ति)		286
अमान्य प्रकरण		00
लंबित प्रकरण	कलेक्टर स्तर पर	28
	प्रक्रियाधीन (शासन/मुख्या/वृत/वमं/आवेदक)	115
	योग प्रकरण	**143**

वर्तमान में अनुकंपा नियुक्ति के कुल 143 प्रकरण लंबित है। इन लंबित 143 प्रकरणों में से अनारक्षित वर्ग के 28, अन्य पिछड़ा वर्ग के 76, अनुसूचित जाति वर्ग के 14 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 25 प्रकरण लंबित है। अन्य पिछड़ा वर्ग में पद रिक्त न होने के कारण इस श्रेणी में लंबित प्रकरणों की संख्या सबसे अधिक है।

दैनिक वेतन भोगी

वन विभाग में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत है, जिनकी संख्या प्रदेश स्तर पर 7078 है। सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुपालन में दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों में से 6712 को स्थाई कर्मी किया जाकर उनका वेतनमान निर्धारण किया गया है।

गोपनीय प्रतिवेदन–

मुख्यालय स्तर पर वनक्षेत्रपाल, उपवनक्षेत्रपाल, अधीक्षक, लेखा अधीक्षक, सहायक ग्रेड–1, मानचित्रकार, शीघ्रलेखक एवं मुख्यालय के समस्त कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन संधारित किये जाते हैं।

लेखापाल, सहायक ग्रेड–2, सहायक ग्रेड–3, वनपाल, वनरक्षक एवं सभी चतुर्थ श्रेणी/ विविध श्रेणी के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित वृत्त कार्यालयों में संधारित किये जाते है।

1.4.3सतर्कता एवं शिकायत

वन बल प्रमुख के अधीन सतर्कता एवं शिकायत शाखा समस्त स्तर से प्राप्त शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती कार्रवाई करती है। परिक्षेत्र अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं परिक्षेत्र अधिकारी, लिपिकीय कर्मचारी एवं अधीनस्थ कार्यपालिक कर्मचारी के विरूद्ध अपील प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सर्तकता एवं शिकायत शाखा का है जिसका विवरण तालिका क्रमांक 1.8 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.8

लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की जानकारी

(माह 1 अप्रैल–2019 से 15 दिसम्बर–2019 तक)

विभागीय जॉच, कारण बताओ सूचना पत्र एवं अपील/पुनर्विलोकन अपील प्रकरण

प्रकरण का विवरण	पूर्व शेष	01.04.2019 से 15.12.2019 तक प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	01.04.2019 से 15.12.2019 तक निराकृत/शासन को प्रेषित प्रकरण	16.12.2019 की स्थिति में लंबित प्रकरण
विभागीय जांच प्रकरण	20	13	33	14/1(15)	18
कारण बताओ सूचना पत्र प्रकरण	08	12	20	07/0	13
अपील/पुनर्विलोकन अपील प्रकरण	84	26	110	35/02 (37)	73

1.4.4मानव संसाधन विकास

प्रदेश के वन बल को अनुशासित एवं व्यवसायिक रुप से वन प्रबंध में दक्ष करने के लिये वन विभाग प्रतिबद्ध है। यह अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संभव है। क्षमता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती उपरान्त व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं सेवारत प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। इस हेतु मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय की मानव संसाधन विकास शाखा के निर्देशन एवं प्रशासन में प्रदेश में 9 प्रशिक्षण संस्थान (वन विद्यालय) निम्नानुसार संचालित हैं जिसका विवरण तालिका क्रमांक1.9 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक 1.9

क्रं.	वन विद्यालय	नियंत्रणकर्ता अधिकारी	क्षमता
1	वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट	प्राचार्य, वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय	125
2	वन विद्यालय, अमरकंटक	संचालक, वन विद्यालय, अमरकंटक	125
3	वन विद्यालय, बैतूल	संचालक, वन विद्यालय, बैतूल	125
4	वन विद्यालय, शिवपुरी	संचालक, वन विद्यालय, शिवपुरी	125
5	वन विद्यालय, गोविन्दगढ़	वनमंडलाधिकारी, रीवा क्षेत्रीय व.मं.	80

6	वन विद्यालय, झाबुआ	वनमंडलाधिकारी, झाबुआ क्षे. व.मं.	50
7	राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, लखनादौन	वनमंडलाधिकारी, उत्तर सिवनी क्षे. व.मं.	125
8	इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षण शाला, पचमढ़ी (जिला–होशंगाबाद)	उप संचालक, सतपुड़ा टा.रि., पचमढ़ी	50
9	जैव विविधता प्रशिक्षण केन्द्र, ताला	उप संचालक, बांधवगढ़ टा. रि., उमरिया	50

इन प्रशिक्षण शालाओं का उपयोग सीधी भर्ती के वन रक्षकों के प्रवर्तन प्रशिक्षण तथा पदोन्नत वनपालों के सेवा कालीन प्रशिक्षण देने में किया जा रहा है। इन शालाओं के प्रभारी पदों पर भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा अधिकारियों की पदस्थिति की जाती है। इन प्रशिक्षण शालाओं में भी प्रशिक्षण हेतु आवश्यक अधोसंरचना जैसे प्रशासनिक खण्ड, व्याख्यान कक्ष, क्रीड़ागन, छात्रावास इत्यादि उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त उप वनक्षेत्रपाल पद से पदोन्नत वनक्षेत्रपालों के लिये वनक्षेत्रपाल महाविद्यालय, बालाघाट में 6 माह का नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

विभिन्न संवर्गो में भर्ती उपरान्त संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से नियमित प्रशिक्षणों को प्राप्त कर भारतीय वन सेवा अधिकारियों, राज्य वन सेवा अधिकारियों, सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपालों एवं वनरक्षकों के लिये वनमंडलों में क्षेत्रीय/ व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारित समयावधि के दौरान आयोजित किये जाते हैं। इन क्षेत्रीय/ व्यवहारिक प्रशिक्षण के कार्यक्रमों व रुपरेखा को निर्धारित किया जाकर सभी वन वृत्तों एवं वनमंडलों को उपलब्ध कराए गये हैं।

विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन –

(1) समस्त 9 वन विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन–

- पदोन्नत वनक्षेत्रपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 दिन प्रथम एवं 15 दिन द्वितीय सत्र)
- वनपाल प्रशिक्षण कार्यक्रम (45 दिवसीय)
- वनरक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (6 माह)

(2) सीधी भर्ती के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के प्रशिक्षण–

- सहायक वन संरक्षक का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
- वनक्षेत्रपालों का केन्द्रीय अकादमियों में 18 माह का प्रशिक्षण

(3) विभागीय परीक्षा –

- सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये

प्रशिक्षण एवं परीविक्षा कार्यक्रम

1. **भारतीय वन सेवा–** (कुल प्रशिक्षण एवं परीविक्षा अवधि 4 वर्ष) – कुल 4 माह मसूरी अकादमी में प्रशिक्षण, 16 माह का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षण, 11 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 5 माह का रेंज प्रभार एवं 12 माह का उपवनमंडल प्रभार। वर्तमान में 13 भारतीय वन सेवा के अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
2. **राज्य वन सेवा** (कुल प्रशिक्षण एवं परीविक्षा अवधि 4 वर्ष) – 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 8 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 4 माह का रेंज प्रशिक्षण एवं 1 वर्ष का उपवनमंडल का प्रभार। वर्तमान में कुल 42 सहायक वन संरक्षक देहरादून एवं कोयम्बटूर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
3. **सीधी भर्ती के वनक्षेत्रपाल** (कुल प्रशिक्षण एवं परीविक्षा अवधि 3 वर्ष 6 माह) – 18 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 6 माह का विभिन्न कार्यालयों में संलग्नीकरण, 1 माह का बीट प्रभार, 5 माह का आर.ए. सर्किल प्रभार, एवं 1 वर्ष का रेंज का प्रभार। वर्तमान में कुल 235 वनक्षेत्रपाल विभिन्न अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
4. **वनरक्षक** (कुल प्रशिक्षण अवधि 6 माह) – वन विद्यालयों में सीधी भर्ती के वनरक्षकों के लिये 6 माह के प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रुप से संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 3 वन विद्यालयों (बैतूल, शिवपुरी एवं लखनादौन) में दिनांक 01.10.2019 से प्रारंभ 6 माह का वनरक्षक प्रशिक्षण प्रारंभ, जिसमें 83 वनरक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

अन्य रिफ्रेशर कोर्स–

- सेवारत भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिये अनिवार्य अल्पकालीन (5 दिवसीय एवं 2 दिवसीय) रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा नियमित रुप से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2019–20 में उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये 171 भारतीय वन सेवा अधिकारियों को नामांकित किया गया।
- भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के अधिकारियों को वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल, Extension Education Instititue, Anand के द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये भी नामांकित किया गया है, जिसमें लगभग 71 अधिकारियों को नामांकित किया गया है।

विभागीय परीक्षा–

- सीधी भर्ती के राजपत्रित वन अधिकारियों की विभागीय परीक्षा – वन विभाग के सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्रपालों के लिये प्रतिवर्ष दो बार, जनवरी एवं जुलाई में विभागीय परीक्षा का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019–20 में दिनांक 29,30,31 जुलाई एवं 01 अगस्त 2019 की अवधि में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर परीक्षा केन्द्रों पर विभागीय परीक्षा आयोजित की गई।

नव नियुक्त वनक्षेत्रपाल/सहायक वन संरक्षक हेतु संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण–

- मध्य प्रदेश वन विभाग से नव नियुक्त वनक्षेत्रपाल अधिकारियों को आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्य प्रदेश, भोपाल मे 07 सप्ताह का संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण मे भेजा गया जिसमें 57 वनक्षेत्रपालों ने भाग लिया।

बजट धनराशि–

- समस्त वन विद्यालयों के संचालन एवं प्रशिक्षणों पर होने वाले व्यय के भुगतानों के लिये वित्तीय वर्ष 2019–20 में मानव संसाधन विकास शाखा द्वारा संचालित योजना क्रमांक 4462–वन प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालक के अंतर्गत निम्नानुसार उपमदों में राशि उपलब्ध कराई गई है जिसका विवरण तालिका क्रमांक –1.10 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक –1.10
बजट उपमद एवं उपलब्ध राशि का विवरण

क्रमांक	बजट उप मद	उपलब्ध राशि (रु.लाख में)
1	12–मजदूरी	149.80
2	22–कार्यालय व्यय–008 अन्य नैमेतिक व्यय	34.00
3	24 परीक्षा एवं प्रशिक्षण 002 प्रशिक्षण	490.30
4	33 अनुरक्षण–003 वाहन अनुरक्षण	3.73
5	41 छात्रवृत्ति एवं 002 वृत्तियां	702.91
6	51 अन्य प्रभार	6.18
	योग–	**1386.92**

1.4.5 नीति विश्लेषण

मध्यप्रदेश फॉरेस्ट मैन्युअल के पुनरीक्षण हेतु विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल को सौंपा गया है। फॉरेस्ट मैन्युअल पुनरीक्षण का कार्य अन्तिम चरण पर है।

1.4.6 संयुक्त वन प्रबंधन

राष्ट्रीय वन नीति के अनुसरण में वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु जन सहयोग प्राप्त करने के लिए वनों एवं उनके आसपास निवास करने वाले समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन हेतु संकल्प दिनांक 22 अक्टूबर, 2001 राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जिसमें तीन प्रकार की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है :–

(1) **वन सुरक्षा समिति** – सघन वनक्षेत्रों वाले वनखंड सीमा की सीमा से 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समिति को "वन सुरक्षा समिति" कहा जाता है। वन सुरक्षा समिति सघन वन क्षेत्रों में अवैध कटाई, चराई एवं अग्नि से क्षेत्र की सुरक्षा करती है तथा इसकी एवज में उन्हें आवंटित क्षेत्र से समस्त लघु वनोपज, रॉयल्टी मुक्त निस्तार एवं काष्ठ विदोहन 20 प्रतिशत लाभांश प्राप्त होता है।

(2) **ग्राम वन समिति** – बिगड़े वन क्षेत्रों वाले वनखंड की सीमा से पांच किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित की जाने वाली समितियों को "ग्राम वन समिति" कहा जाता है। ग्राम वन समिति के सहयोग से पुनर्स्थापित होने पर आवंटित वन क्षेत्र से प्राप्त होने वाली समस्त लघु वनोपज एवं काष्ठ ग्रामीण समिति को प्रदाय करने का प्रावधान है।

(3) **ईको विकास समिति** – जैव विविधता के संरक्षण हेतु गठित राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य बफर क्षेत्रों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों में "इको विकास समिति" गठित करने का प्रावधान है। इन समितियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान का कार्य इको विकास कार्यक्रम के तहत किया जाता है।

संकल्प के अनुसार ग्रामसभा स्तर पर वन प्रबंधन में जुड़ने के लिए मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा–6 के अंतर्गत तथा मध्य प्रदेश ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार ग्राम सभा की बैठक आयोजित करके, वन क्षेत्र की स्थिति के अनुसार, संयुक्त वन प्रबंधन समिति का 5 वर्ष की अवधि के लिए गठन किया जाता है। अध्यक्ष पद के एक तिहाई पद महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं। साथ ही अध्यक्ष/उपाध्यक्ष में से एक पद पर महिला का होना अनिवार्य किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का प्रतिनिधित्व, यथासंभव, ग्रामसभा में इनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा कार्यकारिणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी। प्रदेश में वन समितियों की कुल संख्या 15,609 हैं, जिनके द्वारा 79705 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रों का प्रबंधन किया जा रहा है, जिसका विवरण तालिका क्रमांक–1 .11 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.11
समितियों एवं कार्यों का विवरण

समिति का प्रकार	समितियों की संख्या	प्रबंधित क्षेत्र
ग्राम वन समिति	9784	37799 वर्ग किमी
वन सुरक्षा समिति	4774	36377 वर्ग किमी
ईको विकास समिति	1051	5529 वर्ग किमी
योग–	**15609**	**79705 वर्ग किमी**

1. संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का सशक्तिकरण –

- ग्राम वन नियम, 2015 – आरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिये म.प्र. राजपत्र में 4 जून, 2015 को ग्राम वन नियम का प्रकाशन किया गया है।
- संरक्षित वन प्रबंधन नियम, 2015 – संरक्षित वनों के प्रबंधन में अच्छा कार्य करने वाली वन समितियों को सशक्त करने के लिये म.प्र. राजपत्र 4 जून, 2015 म.प्र. संरक्षित वन नियम का प्रकाशन किया गया है। उक्त नियम के अंतर्गत 108 समितियों को आवंटित 24467.021 हैक्टेयर संरक्षित वनों को संबंधित कलेक्टर द्वारा ग्राम वन समितियों से संबद्ध करने हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

2. काष्ठ एवं बांस विदोहन का लाभांश वितरण –

- काष्ठ का लाभांश – जिला स्तर पर काष्ठ विदोहन से हुए शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को प्रदाय किया जाता है।
- बांस का लाभांश – प्रदेश में बांस कटाई में संलग्न श्रमिकों को बांस विदोहन से प्राप्त शुद्ध लाभ की राशि का शत–प्रतिशत वितरण किया जाता है। विगत पांच वर्षो मे लाभांश वितरण का विवरण तालिका क्रमांक– 1.12 में दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.12

विगत 05 वर्षों के लाभांश वितरण का विवरण

लाभांश प्रदाय वर्ष	काष्ठ लाभांश (राशि रू. करोड़ में)	बांस लाभांश (राशि रू. करोड़ में)	कुल लाभांश (राशि रू. करोड़ में)
2014–15	20.43	18.27	38.70
2015–16	27.36	18.81	46.17
2016–17	35.94	3.28	39.22
2017–18	52.58	0.51	53.09
2018–19	19.18	0	19.18

3. गौशाला परियोजना का क्रियान्वयन –

अनाश्रित गौवंश को आश्रय उपलब्ध कराने के लिये राज्य शासन द्वारा वन समितियों के माध्यम से प्रदेश में 78 गौशालाएँ खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 30 लाख रूपये प्रति गौशाला की दर से राशि रूपये 15.00 करोड़ का वित्त पोषण मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित द्वारा किया गया है एवं 28 गौशालाओं हेतु राशि रूपये 8.4 करोड़ का वित्तपोषण वन सुरक्षा समितियों को दी जाने वाली लाभांश की राशि से किया जा रहा है। इन गौशालाओं में 7800 गौवंश का आश्रय उपलब्ध हो सकेगा।

1.4.7 ग्रीन इण्डिया मिशन

राष्ट्रीय दृष्टि (National vision)

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा **नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज** के आठ अंगों में एक अंग के रूप में नेशनल **मिशन फॉर ग्रीन इंडिया** संचालित किया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य देश की जैविक संसाधनों एवं संबंधित आजीविकाओं को जलवायु परिवर्तन के खतरों से सुरक्षित किया जाना है। इस हेतु वनों का देश की पारिस्थितिकीय संवहनीयता, जैव विविधता संरक्षण, भोजन, जल एवं आजीविका सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है।

यह मिशन हरियाली के समग्र रूप को देखने के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें वृक्षारोपण के सीमित दायरे के बाहर जाकर कार्बन प्रच्छादन (Carbon sequestration) के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना नियत है जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से संभावित खतरों को कम करने के लिए परिदृश्य स्तर तक जैव विविधता विकास, इको सिस्टम पुनर्वास एवं स्थानीय समुदायों की आर्थिक सुरक्षा हेतु कार्य किया जाना है।

मिशन का लक्ष्य देश के 50 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन/वृक्ष आच्छादन बढ़ाया जाना एवं 50 लाख हेक्टैयर वन क्षेत्र के गुणवत्ता में सुधार किया जाना प्रावधानित है। इस प्रकार मिशन के द्वारा 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इकोसिस्टम सर्विसेस में सुधार, वनों पर आश्रित 30 लाख परिवारों में सुधार एवं वर्ष 2020 तक 50 से 60 मिलियन टन कार्बन प्रच्छादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

मध्य प्रदेश की योजना

जलवायु परिवर्तन की महत्ता के मद्देनजर मध्यप्रदेश के द्वारा नेशलन मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के तहत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। इकाई द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर 5 वर्षीय दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। इसमें प्रदेश के वनों को आठ विभिन्न लैंडस्केप (परिदृश्यों) में बांटा जा कर जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अतिसंवेदनशील, संवेदनशील एवं कम संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है।

योजना के तहत 3,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पांच विभिन्न उप मिशनों के तहत उपचारित किया जाना प्रावधानित है। उपचार की कार्यवाही प्रदेश के 18 वन मंडलों के 122 मिली वाटर शेड के अन्तर्गत 735 माइक्रो वाटरशैड के अंतर्गत की जाना है। इस हेतु 3,11,951 लाख रुपये की योजना केंद्र सरकार को प्रेषित की गई है, मूल रूप से योजना 2016–17 से 2020–21 तक क्रियांवित किया जाना प्रस्तावित थी। भारत सरकार की नेशनल एक्जीक्युटिव काउंसिल की तीसरी बैठक दिनांक 03.01.2018 को उक्त परियोजना की स्वीकृति रू. 3157.36 करोड़ रूपये प्राप्त हुई है।

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत प्रारम्भिक (Preparatory) तैयारी

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मध्य प्रदेश के 7 क्षेत्रीय वनमण्डलों क्रमशः दक्षिण सिवनी, दक्षिण बालाघाट, दक्षिण सागर, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, शिवपुरी एवं बड़वानी वनमण्डलों के अंतर्गत 70 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में रोपणियों की स्थापना, सूक्ष्म प्रबंध योजना निर्माण आस्थामूलक कार्यों एवं मृदा जल संरक्षण क्षेत्रों के क्रियान्वयन हेतु रू. 823.50 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसके विरूद्व राशि रू. 731.26 लाख की राशि व्यय की गई।

ग्रीन इंडिया मिशन पर्सपेक्टिव प्लान का क्रियान्वयन

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ग्रीन इंडिया मिशन अतंर्गत भारत सरकार के स्वीकृती क्रमांक F.NO.9-11/2014/ GIM-MP दिनांक 10.09.18 से 41.8026 करोड़ का APO स्वीकृत कर राशि रू. 1022.497 लाख

प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त किये गये है। ग्रीन इंडिया मिशन के उपचार हेतु चयनित 18 उपचार की कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये जा चुके है।_

ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के लिए 23241.59 हे. क्षेत्र का उपचार करने के लिए रुपये 7888.00 लाख का ए.पी.ओ. भारत शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है। कार्य प्रगति पर है। प्रगति प्रतिवेदन 30.09.19 की स्थिति में तालिका क्रमांक 1.13 में दर्शित है–

तालिका क्रमांक 1.13 में

ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 30.09.2019 की स्थिति में भौतिक व आर्थिक उपलब्धि

Sub Mission	Target		Achieved	
	Phy(Ha.)	Fin. (Rs. Lakh)	Phy (Ha.)	Fin. (Rs. Lakh)
Sub mission 1(a) Restoration of moderately dense forests	4936	781.81	4,939	652.19
Sub mission 1(b)- Types i, ii & iii, Eco-restoration of degraded forests	3373	891.69	2,956	684.33
Sub mission 1(c), Grassland restoration	862	318.74	859	263.71
Sub mission 2 (b) & (C) Scrubland & abandoned Mining areas	23	24.82	8	7.14
Sub mission 3 (a), Urban & Peri-Urban plantation	166	174.85	110	89.04
Sub mission 4 (a,b,c), Agro & Social Forestry	2539	784.91	1,261	219.83

Sub mission 5, wetland restoration	16	9.82	9	5.44
Promoting alternative Fuel Energy				9.00
Advance Work Plant Purchase/Creation Work Year 2019-20				841.07
Total (Component A)	**11,915**	**3096.08**	**10,142**	**2771.75**
Total (Component B)	**-**	**1083.63**		**139.80**
Grand Total (A+B)	**11,915**	**4179.71**	**10,142**	**2911.55**

वर्ष 2018–19 में किये गये महत्वपूर्ण कार्य

1. प्रदेश में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत किये गये वैज्ञानिक के आधार पर 8 एल–1 लैंडस्केप की पहचान की गई है, जिसमें जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले 18 वनमण्डलों में 122 एल–2 लेवल लैण्डस्केप (मिली वाटर शेड) के 735 एल–3 लेवल लैण्डस्केप (माइक्रो वाटरशेड) शामिल है।
2. वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए संशोधित वार्षिक कार्य योजना 2018–19 हेतु 11914 हे. क्षेत्र में कार्य करने के लिए रुपये 41.80 करोड़ राशि का अनुमोदन किया गया।
3. उपरोक्त वार्षिक कार्य योजना ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत 33 एल 2 (मिली वाटरशेड) एवं 79 एल 3 (माईक्रो वाटरशेड) में 18 वनमण्डलों के अन्तर्गत संचालित किया गया।
4. वर्ष 2018–19 में मिशन अन्तर्गत वनमण्डलों द्वारा क्षेत्र तैयारी, फेंसिंग, गड्ढा खुदाई, पौध तैयारी, निरीक्षण पथ निर्माण, मृदा एवं जल संरक्षण, आजीविका मूलक गतिविधियाँ आदि कार्य किये गये।
5. वर्ष 2018–19 में कुल 9753 हे. क्षेत्र के उपचार में कुल राशि रुपये 1626.03 लाख व्यय की गई।
6. सितम्बर 2019 तक कुल राशि 1285.545 रू. का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत शासन को भेजा जा चुका है।

ग्रीन इंडिया मिशन अन्तर्गत किये जाने वाले अभिनव प्रयास /योजनाओं का उल्लेख

1. रोजगार मूलक प्रशिक्षण

ग्रीन इंडिया मिशन के अन्तर्गत 18 वनमण्डलों में आजीविका से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित की जा रही है। इन गतिविधियों के माध्यम से मशरूम की खेती से 98 महिलाओं को होशंगाबाद वनमण्डल द्वारा प्रशिक्षित कर स्व–सहायता समूह का गठन किया गया। उत्तर बैतूल वनमण्डल में 12 महिलाओं को प्रशिक्षित कर सेनेटरी पैड निर्माण करने हेतु यूनिट स्थापित किया गया। शहद संग्रहण के अन्तर्गत दक्षिण पन्ना, होशंगाबाद एवं श्योपुर वनमण्डलों में 182 आदिवासी हितग्राहियों को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार होशंगाबाद, दक्षिण बालाघाट, उत्तर बैतूल एवं सतना वनमण्डलों में 294 वर्मीकम्पोस्ट टेंकों का निर्माण किया गया। दक्षिण सागर वनमण्डल में 9 यूनिट बायोगैस डाईजेस्टर का निर्माण कर स्थापित किया गया। सतना वनमण्डल द्वारा 35 महिलाओं को अगरबत्ती काड़ी एवं अगरबत्ती तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। इनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 6 से 7 क्विंटल अगरबत्ती का उत्पादन किया जा रहा है। 730 महिलाओं को दक्षिण बालाघाट, झाबुआ, दक्षिण पन्ना, उमरिया, धार, होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, रायसेन, सीहोर, दक्षिण सागर एवं दक्षिण सिवनी वनमण्डलों के द्वारा सिलाई प्रशिक्षण प्रदाय किया गया। बड़वानी, होशगाबाद, सेंधवा, उत्तर बैतूल एवं पश्चिम बैतूल वनमण्डलों के अन्तर्गत कुल 293 युवको को कम्प्यूटर, ड्रायविंग एवं

बिजली मरम्मत कार्यों में स्किल डेवलपमेंट प्रशिक्षण प्रदाय किया गया।

2. रिजनरेशन सर्वे

परियोजना अन्तर्गत चयनित मिलीवाटरशेड में रिजनरेशन सर्वे हेतु ग्रिड आधारित प्लॉट डालकर वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जा रहा है।

3. जल संरक्षण संरचनाएं

सतना वनमण्डल के बर्मे गांव में पीने के पानी का स्त्रोत नहीं था ऐसे विपरीत स्थिति से निपटने के लिए गांव के पास एक तालाब खुदवाया गया, जिसमें माह मई–जून में भी पीने का पानी उपलब्ध हो सका। इसी प्रकार मार्च, 2018 में उत्तर बैतूल वनमण्डल के गांव मुढा में भी एक पुरानी पानी संरचना का गहरीकरण कराया गया जिससे भराव क्षमता एवं ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग बढ़ा। होशंगाबाद वनमण्डल के परियोजना क्षेत्र में ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से बोरवेल का निर्माण कर 40 परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया गया।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

National Afforestation Programme

1. वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु राशि आवंटन के लिए भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक/ MoEF& CC (NAEB) 35-15-1/2018-B. II दिनांक 30.09.2018 द्वारा राशि रू. 1372.53 लाख स्वीकृत की गई है। कुल राशि रू.778.49 लाख विमुक्त की गई है।
2. योजना 13 वृत्त के 51 वनमण्डलों में एफ.डी.ए. द्वारा संचालित है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलावायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ–2/2017/बी–1 दिनांक 30.01.18 द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम को ग्रीन इंडिया मिशन में समाहितीकरण किया जा चुका है। इस योजना में वर्ष 2018–19 में रुपये 1883.23 लाख का आवंटन हुआ था। वर्ष 2019–20 में कुल 5255 हेक्टेयर का क्षेत्र तैयारी एवं पूर्व में किये गये वृक्षारोपण का तीन वर्ष का रखरखाव सम्मिलित होगा।
3. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में एफ.डी.ए. द्वारा ANR (Assisted Natural Regeneration), AR (Artificial Regeneration), SPD (Silvi-pasture dev.), BP (Bamboo Plantation), MP (Mixed Plantation), RPHS Regeneration of perennial herbs & shrubs हेतु कार्य आहुत किया गया।
4. राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 5255 हे. क्षेत्र तैयारी कार्य, रोपण एवं रखरखाव हेतु चिन्हित किया गया।
5. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक किये गये रोपण कार्यों का थर्ड पार्टी मूल्यांकन 57 एफ.डी.ए. में किये जाने का कार्य प्रचलित है।

1.4.8 निगरानी एवं मूल्यांकन

निगरानी एवं मूल्यांकन शाखा प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश के अधीन कार्य करती है। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा राज्य में किये गए वृक्षारोपण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण करने हेतु विभाग की सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली का विकास किया गया है। वर्तमान में शाखा–निगरानी एवं मूल्यांकन द्वारा वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली के माध्यम से संपूर्ण राज्य में मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है।

वृक्षारोपण निगरानी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

1. यूज़र फ्रेंडली डैशबोर्ड जो कि विभिन्न मापदंडों की स्थिति को दर्शाता है, जैसेः वनमंडल स्तर से अनुमोदन, प्रतिवर्ष माह मई एवं अक्टूबर सत्र के मूल्यांकन एवं जिओमैपिंग आदि की स्थिति ।
2. वृक्षारोपण कार्यों के वनमडल स्तर से अनुमोदन, मूल्यांकन, व्यय एवं जिओमैपिंग आदि की विस्तृत रिपोर्ट।
3. मुख्यालय स्तर से बेहतर अनुश्रवण हेतु एकीकृत जिओ–पोर्टल, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्र की सीमा के अतिरिक्त Satellite Imagery को देख सकते हैं।
4. चार स्तरों अर्थात् मुख्यालय, वन वृत्त, वनमंडल एवं परिक्षेत्र में अधिकारों का प्रतिनिधान के साथ ही मुख्यालय स्तर पर एकीकृत डाटा सेंटर।
5. कार्यप्रवाह आधारित पारदर्शी प्रणाली।
6. प्रणाली Public Domain में है एवं आम जन द्वारा इसका अवलोकन किया जा सकता है।

शाखा के मुख्य कार्यः

1. प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु समस्त जानकारियां नियमित रूप से प्रविष्ट करने के लिए मुख्य वन संरक्षकों एवं वनमंडल अधिकारियों को बारंबार उनके क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराना।
2. प्रणाली से संबंधित समस्याओं एवं सुझावों जैसेः नवीन रिपोर्ट को जोड़ना, Technical Checks लगाना, वृक्षारोपण पंजीकरण को निरस्त करना आदि के निराकरण हेतु नियमित रूप से सूचना एवं प्रौद्योगिकी शाखा से समन्वय स्थापित रखना।
3. वीडियो कांफ्रेंस / क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से वृक्षारोपण प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु प्रयास।
4. वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर विभाग को नीतिगत स्तर पर महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना।

शाखा द्वारा वर्ष 2018 से 2020 में प्रणाली में जानकारी को अद्यतन रखने हेतु किये गये प्रयासों से प्राप्त प्रगति के संक्षिप्त आंकड़ें तालिका क्रमांक 1.14 में दर्शित हैं :–

तालिका क्रमांक 1.14

S.N.	Particular	Data as on 31-12-2018	Data as on 31-01-2020
1	Total Registered Plantations	18371	20420
2	Total Approved Plantations	18220	20351
3	Total Evaluated Plantations (Atleast Once)	15217	18373
4	Total Geo-Mapped Plantations	13081	18841

तालिका क्रमांक 1.15
योजनावार वृक्षारोपण पंजीकरण स्थिति

S.No.	Name of the Scheme	Total Plantations (as on 31.01.2020)
1	ESIP	17
2	Bamboo Mission	582
3	Bundelkhand Package	117
4	CAMPA	1858
5	CAMPA (Urja Van /Fuelwood)	42
6	Compensatory Afforestation	98
7	Environment Forestry	928
8	FDA (NAP)	2112
9	GIM	125
10	JFMC	278
11	Mahatma Gandhi Rural Employment Guarantee	1558
12	Minor Forest Produce Federation	232
13	NPV	239
14	Omkareshwr Project	84
15	Other Central Assistance	116
16	Others	3280
17	Social Forestry	4
18	UNDP	518
19	Vaiklpik (Alternative)	96
20	Working Plan Implementation	8077
21	Working Plan Implementation (Plantations in RDF)	59
	Grand Total	**20420**

1.4.9 प्रोजेक्ट

द्वितीय कार्बन फ्लक्स टॉवर की स्थापना

पृथ्वी के वातावरण में CO_2 एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में निरन्तर वृद्धि वैज्ञानिकों और नीति निर्धारकों के लिये चिंता का विषय है। इस वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले मौसम परिवर्तन से पृथ्वी की सतह का तापमान बढ़ने एवं ध्रुव क्षेत्रों पर जमें हिमखण्ड पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने की संभावना है। साथ ही कृषि क्षेत्र पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

मध्यप्रदेश वन विभाग की प्रोजेक्ट शाखा द्वारा पूर्व से संचालित पारिस्थितिकीय सेवाओं एवं वनों के माध्यम से मौसम परिवर्तन के अध्ययन के कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित नेशनल कार्बन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत देश के चौथे तथा मध्यप्रदेश के प्रथम कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना वर्ष 2012 में पश्चिम बैतूल वनमंडल जिला बैतूल में की गई थी। वर्ष 2017 में प्रदेश के द्वितीय कार्बन फ्लाक्स टॉवर की स्थापना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिला मंडला में की गई है तथा यह सुचारू रूप से कार्यरत है।

1.4.10 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी

उद्देश्य एवं संरचना –

मध्यप्रदेश के वनों की उत्पाादकता बढ़ाने एवं वन क्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रत्येक कृषि जलवायु प्रक्षेत्र में क्रमशः बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर एवं सिवनी में अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित हैं।

बड़गोंदा रोपणी – अ. वि. वृत्त, इन्दौर

कुंदा रोपणी – अ.वि. वृत्त, खंडवा

अनुसंधान विस्तार वृत्त के अंतर्गत रोपणियों में मानक गुणवत्ता के वानिकी/फलदार/औषधीय/लघु वनोपज/संकटापन्न/विलुप्तप्राय एवं आवश्यकतानुसार क्लोनल/ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर विभागीय वृक्षारोपण एवं अन्य शासकीय/ अशासकीय विभागों, संस्थाओं एवं जनसामान्य को रोपण हेतु प्रदाय किये जाते हैं।

शहरी रोपणी – अ.वि. वृत्त, जबलपुर

पौधा तैयारी एवं निवर्तन –

अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में वर्ष 2019 के रोपण हेतु निर्धारत मापदंड के 8.55 करोड विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपणियों में विकसित किये गये। वर्षा ऋतु 2019 में माह सितंबर तक 5.30 करोड पौधों का निवर्तन रोपणियों से किया गया है।

राजस्व प्राप्ति –

वर्ष 2019 में गैर वन क्षेत्रों में लगभग 40 लाख पौधों के विक्रय से राशि रू. 6.22 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ है।

सीड बाल के माध्यम से रोपण –

प्रदेश में प्रथम बार सीड बाल का निर्माण कराया गया। विभाग में जन भागीदारी के माध्यम से 1.10 करोड़ सीड बाल निर्मित कर रोपण हेतु क्षेत्रीय वनमंडल को उपलब्ध कराये गये।

संकटापन्न प्रजातियों की तैयारी –

प्रदेश के वनों में जैव विविधता बनाये रखने के लिये अ.वि. रोपणियों में दुर्लभ एवं विलुप्त प्रजातियों के लगभग 70 लाख पौधे तैयार किये गये जिसमें हल्दू, सलई, धामन, तिनसा, शीशम आदि प्रजातियाँ प्रमुख है।

टिश्यू कल्चर पद्धति से पौधों की तैयारी –

टिश्यू कल्चर द्वारा सागौन पौध तैयारी – अ.वि. वृत्त, इंदौर

जीवामृत – झाबुआ

अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त, इंदौर में एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला संचालित। जहाँ उत्तम गुणवत्ता के बॉस एवं संकटापन्न प्रजातियों को विकसित किया जा रहा है। सागौन पर भी प्रयोग प्रारंभ किया गया है।

वेल्यू ऐडड वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन –

अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियों में रासायनिक खाद के स्थान पर वेल्यू एडेड वर्मी कम्पोस्ट तैयारी कर पौधा तैयारी हेतु उपयोग किया जा रहा है। वर्ष में 60,000 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया गया। जीवामृत एवं नीमखली का उत्पादन भी आवश्यकतानुसार रोपणियों में किया जा रहा है।

रोपणियों में ईको पर्यटन विकास –

प्रमुख स्थलों पर रोपणी को ईको–टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर पर्यटको को आकर्षित करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण हेतु जन सामान्य में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

रोपणियों में महिलाओं की भागीदारी –

रोपणियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है उन्हें यथेष्ठ स्थान दिया गया है। रोपणियों में महिलाओं के लिये सभी आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराई गई है।

रोपणियों का श्रेणीकरण एवं मान्यता –

रोपणियों में महिलाओं की भागीदारी – रोपणी, अ.वि. वृत्त, रतलाम

उज्जैन रोपणी – अ.वि. वृत्त, रतलाम

प्रथम बार म.प्र. में स्थित 171 अ0वि0 रोपणियों के श्रेणीकरण एवं मान्यता के संबंध में कार्यवाही की गई। प्रत्येक अ0वि0 वृत्त में स्थानीय स्तर पर एक दल का गठन कर रोपणियों का विभिन्न मापदंडों पर परीक्षण कराया गया। परीक्षण अनुसार प्राप्त परिणाम के आधार पर रोपणियों को रेटिंग दी गई जिसके परिणाम तालिका क्रमांक 1.16 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.16

कुल रोपणियाँ	5 स्टार रैंकिंग रोपणियाँ	4 स्टॉर रैंकिंग रोपणियाँ	3 स्टॉर रैंकिंग रोपणियाँ	2 स्टॉर रैंकिंग रोपणियाँ	सामान्य रोपणियाँ
171	9	47	90	23	2

प्राप्त परिणाम का राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के माध्यम से भी परीक्षण कराया जा रहा है।

मानिटरिंग एवं ऑन लाईन विक्रय –

रोपणियों के पौधों के ऑनलाईन संधारण हेतु नर्सरी मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। जन सामान्य के लिये एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से भी पौधा विक्रय की व्यवस्था उपलब्ध है।

लोकवानिकी –

लोकवानिकी योजना अंतर्गत वर्ष 2002 से 2018 तक प्रदेश में लगभग 3020 प्रबंध योजनाएं क्रियान्वित की गई।

विस्तार वानिकी –

विस्तार वानिकी योजना अंतर्गत वर्षा ऋतु 2019 में क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रजाति के 6.50 लाख पौधों का रोपण किया गया।

अध्ययन एवं अनुसंधान –

अध्ययन एवं अनुसंधान योजना के अंतर्गत राज्य वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 4, ऊष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से 7 एवं अ0वि0 वृत्तों द्वारा 15 लघु शोध कार्य संचालित हैं।

प्रचार–प्रसार –

''म0प्र0 वनांचल संदेश'' नाम से विभागीय गतिविधियों, उल्लेखनीय सफलताओं के संबंध में जनसामान्य को अवगत कराने हेतु एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसके 12 संस्करण जारी हो चुके हैं।

1.4.11 भू–प्रबंध

वन भूमि व्यपवर्तन

भारत सरकार ने वर्ष 1980 मे **वन (संरक्षण) अधिनियम 1980** लागू किया जिसके अंतर्गत यह प्रावधानित है कि कोई राज्य शासन अथवा वन अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आदेश दे सकेंगे।

इस अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत निम्न प्रावधान हैं:–

''किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निर्देश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं देगा :–

(1) कि कोई आरक्षित वन उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में ''आरक्षित वन'' पद के अर्थ में या उसका कोई प्रभाग आरक्षित नहीं रह जाएगा।

(2) कि किसी वन भूमि या उसके किसी प्रभाग को किसी वनेत्तर प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाए।

(3) कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या आय संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबन्ध, नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए।

(4) किसी वन भूमि या उसके किसी भाग से, पुर्नवनरोपण के लिए उसका उपयोग करने के प्रयोजन के लिए, उन वन वृक्षों को, जो उस भूमि या प्रभाग में प्राकृतिक रूप से उग आए हैं, काटकर साफ किया जा सकता है।''

किसी भी आवेदक संस्थान द्वारा वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग प्रस्तावित होने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में निश्चित अभिलेखों के साथ ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जो कि क्षेत्रीय अधिकारियों के परीक्षण एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त भारत सरकार को भेजा जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रकरण में कुछ शर्तों के साथ सैद्धांतिक अनुमति दी जाती है। आवेदक तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा शर्तों की पूर्ति उपरान्त भारत सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु औपचारिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के औपचारिक अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति जारी की जाती है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.10.2014 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करते हुए दिनांक 01.11.2014 से समस्त रेखीय (सड़क, नहर, विद्युत लाईन एवं रेलवे लाईन) के प्रकरणों की स्वीकृति तथा शेष प्रकरणों में (उत्खनन, जल, विद्युत परियोजनायें तथा अतिक्रमण के प्रकरणों को छोड़कर) 40 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार भोपाल स्थित भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय साधिकार समिति को सौंपे गये हैं।

विगत वर्षों में प्रशासनिक तत्परता एवं प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रकरणों की स्वीकृति में लगने वाले समय में काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति प्रक्रिया लागू करने से तथा प्रक्रिया के सरलीकरण के कारण प्रकरणों का निराकरण अधिक शीघ्रता से हो रहा है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 प्रभावशील होने के बाद दिनांक 25.10.1980 से माह फरवरी 2020 तक कुल 1119 प्रकरणों में कुल 279585.232 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तित की गई है।

वर्ष 1980 से फरवरी 2020 तक की अवधि में वन भूमि व्यपवर्तन का गोशवारा तालिका क्रमांक 1.17 मे दर्शित है।

तालिका क्रमाक–1.17
उपयोगवार वन भूमि का व्यपवर्तन

क्र.	श्रेणी	व्यपवर्तित वन भूमि (हे. में)				कुल व्यपवर्तित वन भूमि (हे. में)	प्रतिशत
		1980–1990	1991–2000	2001–2010	2011–2020 (फरवरी)		
1	सिंचाई	62797.147	6308.486	8949.552	5529.721	83584.906	29.896
2	विद्युत	2566.964	487.02	2369.214	3319.655	8742.853	3.127
3	खनिज	4581.680	5677.176	4079.098	5600.826	19938.78	7.132
4	विविध	702.849	4757.334	3168.903	4588.073	13217.159	4.727
5	रक्षा	12458.038	16632.64	6.270	5602.870	34699.818	12.411
6	अतिक्रमण	119401.716	0	0	0	119401.716	42.707
कुल योग		202508.394	33862.656	18573.037	24641.145	279585.232	100

प्रत्यावर्तित वन भूमि का वर्षवार तथा श्रेणीवार विवरण **परिशिष्ट–5** में संलग्न है। वर्ष 2019 में अंतिम स्वीकृति प्राप्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट–6** में संलग्न है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में राज्य शासन/वनाधिकारियों को प्रदत्त अधिकार

वन क्षेत्रों में गैर वानिकी कार्य करने की अनुमति जारी करने के सम्बन्ध में राज्य शासन/क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार भारत सरकार से प्रत्यायोजित किये गये हैं :–

(क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त किये हैं :–

a. School/Educational Institutes
b. Dispensary/hospital
c. Electric and Telecommunication lines
d. Drinking water
e. water/rain water harvesting structures
f. Minor irrigation canal
g. Non-conventional sources of energy
h. Skill up-gradation/vocational training center
i. Power sub stations
j. Communication posts
k. Construction/widening of roads including approach road to roadside establishments
l. Upgradation/strengthening/widening of existing bridges by BRO
m. Police establishments like police station/outposts/border outposts/towers in sensitive areas (identified by Ministry of Home Affairs)

n. Government approved community toilets partly or fully in forest lands involving not more than one-hectare subject to approval by GP in rural areas and urban bodies in urban areas, and

o. water mills.

(ख) भारत सरकार द्वारा दिनांक 28.03.2019 से जारी मार्गदर्शिका के अध्याय 4 में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत वामपंथी चरमपंथी जिलों क्रमशः बालाघाट एवं मण्डला के लिये निम्न श्रेणियों के लिये 05 हेक्टेयर तक वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रकरणों में राज्य शासन को अधिकार प्रदत्त किये हैं :–

a. School/Educational Institutes
b. Dispensary/hospital
c. Electric and Telecommunication lines
d. Drinking water
e. water/rain water Harvesting structures
f. Minor irrigation canal
g. Non-conventional sources of Energy
h. Skill up-gradation/vocational training center
i. Power sub stations
j. Public roads (including quarrying of materials to be used)
k. Communication posts
l. Police establishments like police station/outposts/border outposts/watch towers in sensitive areas (identified by Ministry of Home Affairs)
m. Underground optical fiber cables, telephone lines & drinking water supply lines.
n. Setting up Medical Colleges by Government Departments.

(ग) भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत निम्न श्रेणियों के कार्यों में 01 हेक्टेयर तक वन भूमि जिसमें 75 वृक्ष प्रति हेक्टेयर होने के स्थिति में व्यपवर्तन की स्वीकृति संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी को प्रदत्त किये है :–

1. विद्यालय
2. औषधालय
3. आंगनबाड़ी
4. उचित कीमत की दूकानें
5. विद्युत और दूरसंचार लाईनें
6. टंकियां और अन्य लघु जलाशय
7. पेयजल की आपूर्ति और जल पाईप लाईनें
8. जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं
9. लघु सिंचाई नहरें
10. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत
11. कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
12. सड़कें
13. सामुदायिक केन्द्र

वन (संरक्षण) अधिनियम लागू होने के पश्चात् से प्राप्त आवेदनों एवं उनके निराकरण की स्थिति तालिका क्रमांक–1.18 के अनुसार है।

तालिका क्रमांक–1.18

(प्रकारणों की संख्या अंकों में)

क्र.	विवरण	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (फरवरी तक)
1	प्राप्त आवेदन	41	39	31	63	77	56
2	स्वीकृत प्रकरण	43	22	19	42	20	11
3	अस्वीकृत प्रकरण	03	07	07	—	—	—
4	विचाराधीन प्रकरण	206	206	224	67	54	45
5	(अ) सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	77	89	82	17	14	09
6	(ब) औपचारिक स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन	129	117	142	50	40	36

कच्चे मार्गों का उन्नयन

भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 30.04.2005 द्वारा वन क्षेत्र से गुजर रहे 1980 के पूर्व निर्मित कच्चे मार्गों के उन्नयन हेतु सामान्य स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में केवल उन्हीं वन मार्गों का उन्नयन करने की अनुमति दी जा सकती है जिसे प्रधान मंत्री सड़क योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। गत वर्षों में वन मार्गों को उन्नयन की स्वीकृति के प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :–

म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17.05.2005 द्वारा वनमण्डलाधिकारी को वनक्षेत्रों के गुजर रहे 25.10.1980 के पूर्व के कच्चे मार्गो के उन्नयन हेतु सशर्त अनुमति जारी करने के लिये अधिकृत किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जारी भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19.09.2006 के परिप्रेक्ष्य में उक्त योजनांतर्गत सड़कों के उन्नयन हेतु अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

तालिका क्रमांक–1.19

योजना का नाम	स्वीकृत प्रकरण					
	वर्ष 1980 से दि. सम्बर 2015 तक	वर्ष 2016	वर्ष 2017	वर्ष 2018	वर्ष 2019	वर्ष 2020
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	2654	45	38	47	28	10
मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना	711	30	31	0	7	0
वर्ष 1980 के पूर्व की सड़कों का उन्नयन	22	88	19	20	40	0

1.4.12 कैम्पा (CAMPA)

(Compensatory Afforestation Management & Planning Authority)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिये वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरण स्वीकृत किये जाते हैं। वन भूमि व्यपवर्तन के प्रकरणों में स्वीकृति जारी करते समय भारत सरकार द्वारा विभिन्न शर्तें अधिरोपित की जाती हैं। इन शर्तों के अनुरूप आवेदक संस्थान से प्रतिपूरक रोपण, आवाह क्षेत्र उपचार, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा निवल वर्तमान मूल्य (एन.पी.व्ही.) आदि की राशि जमा कराई जाती है। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य वन भूमि के व्यपवर्तन से होने वाली क्षति की पूर्ति करना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) 2002/95 टी.एन. गोदावर्मन तिरूमलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मे तारीख 30 अक्टूबर 2002 के अपने आदेश मे यह मत व्यक्त किया कि प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का सृजन किया जाये। वर्ष 2006 मे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तारतम्य मे एक तदर्थ प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2009 मे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाये गये। प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि का प्रबंधन मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार 2017–18 तक किया जाता रहा है।

इस क्रम मे प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के प्रबंधन हेतु दिनांक 03.08.2016 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 तथा दिनांक 10.08.2018 को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम, 2018 भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित किया गया। प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम 2016 (2018 का 38) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत 30 सितम्बर को मध्यप्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के नाम से राज्य प्राधिकरण का गठन किया है। मध्यप्रदेश शासन ने 17 अक्टूबर 2018 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अंतर्गत मुख्य शीर्ष "8121 साधारण एवं अन्य आरक्षित निधियां" के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष 129–मध्यप्रदेश प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि का गठन किया है।

राज्य शासन के प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 29 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने 29 अगस्त 2019 को मध्यप्रदेश के लोक लेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खाते मे राशि रुपये 5196.69 करोड़ अंतरित किया हैं।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि अधिनियम, 2016 मे निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य प्राधिकरण के निधि के प्रबंधन और योजना बनाये जाने हेतु त्रिस्तरीय समितियों के गठन के निर्देश हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में – शासी निकाय।

मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में–राज्य स्तरीय संचालन समिति।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में–राज्य कार्यकारिणी समिति।

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19–42 /2018/1/4 दिनांक 26.10.2018 से राज्य स्तरीय संचालन समिति (teering Committee) तथा आदेश क्रमांक एफ–3–22/2018/10–2 दिनांक 25.10.2018 द्वारा कार्यकारिणी समिति (म्मामबनजपअम ब्वउउपजजमम) का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 19–52/2018/1/4 दिनांक 15.01.2019 से शासी निकाय (Governing Body) का गठन किया गया है।

उक्त समितियों के गठन के पश्चात् अभी तक शासी निकाय की एक, संचालन समिति की तीन तथा कार्यकारिणी समिति की चार बैठक आयोजित की गई हैं।

प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 में राज्य प्राधिकरण के निधि (कैम्पा निधि) के एन.पी.व्ही. तथा ब्याज की राशि के उपयोग के संबंध में मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं:–

- वन भूमि व्यपवर्तन से प्राप्त कैम्पा निधि की 90 प्रतिशत राशि राज्य कैम्पा निधि मे अंतरित होती है तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत जमा होती है।
- राज्य कैम्पा निधि को प्राप्त एन.पी.व्ही. की 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन पर व्यय।
- राज्य कैम्पा निधि को प्राप्त एन.पी.व्ही. की 20 प्रतिशत राशि वन और वन्यजीव संबंधी अद्योसंरचना को सुदृढ़ करने, क्षमता निर्माण आदि पर व्यय।
- ब्याज की 60 प्रतिशत तक की राशि से क्षतिपूर्ति रोपण/ दाण्डिक प्रतिपूर्ति वनीकरण/ वन्यजीव प्रबंधन के मूल्यवृद्धि, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन से संबंधित कार्य का संपादन।
- ब्याज की 40 प्रतिशत तक की राशि से राज्य प्राधिकरण के गैर अनावर्ती और आवर्ती व्यय।

नोट :

❖ प्राथमिकता बतौर वन विभाग के केवल वन रेंज अधिकारियों तक के अधिकारी के आवास एवं कार्यालयीन भवनों का निर्माण।

❖ वाहन क्रय, चिड़िया घर एवं वन्यजीव सफारी की स्थापना/ उन्नयन पर प्रतिबंध।

प्रत्येक वर्ष प्रस्तावित क्षतिपूर्ति रोपण, वन्यप्राणी प्रबंधन तथा एन.पी.व्ही. से संबंधित विभिन्न प्रस्तावित कार्यों को सम्मिलित करते हुये वार्षिक कार्य आयोजना (ए.पी.ओ.) तैयार किया जाता है। इस ए.पी.ओ. को राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा परीक्षण कर राज्य स्तरीय संचालन समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा इस ए.पी.ओ. के आवश्यक परीक्षण पश्चात् अनुमोदन एवं अनुशंसा सहित भारत सरकार को प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के प्रावधानो के अनुसार अनुमोदन हेतु लेख किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 के नियम अनुसार ए.पी.ओ. का अनुमोदन किया जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 08 जनवरी 2020 को शासी निकाय की प्रथम बैठक में द्वारा कैम्पा निधि के उपयोग हेतु निम्नानुसार प्राथमिकताये निर्धारित की गई हैं।

- प्रतिपूरक वनीकरण कार्य
- बिगड़े वनक्षेत्र तथा वन्यप्राणी कॉरीडोर मे वृक्षारोपण
- नदियो के पुर्नजीवन हेतु उनके जलग्रहण क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य के साथ वृक्षारोपण
- वन्यप्राणी क्षेत्र मे पर्यावास सुधार कार्य
- ऐसे कार्यकलाप जिनसे स्थानीय समुदाय के लिये रोजगार की क्षमता का विकास हो – बांस वृक्षारोपण
- संरक्षित क्षेत्रों से गांवो को स्वैच्छिक रूप से अन्यत्र बसाया जाना।
- नगर वनों की स्थापना

वित्तीय प्रगति – वनीकरण के अतिरिक्त कैम्पा शाखा से वन्यप्राणी क्षेत्रों के रहवास विकास, वनों के संरक्षण, अद्योसंरचना विकास के कार्य भी किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 की वित्तीय प्रगति का विवरण तालिका क्रमांक–1.20 मे दर्शित है।

तालिका क्रमांक–1.20

(अ) वित्तीय वर्ष 2018–19

(राशि करोड़ में)

क्र.	शीर्ष	वर्ष 18–19 में स्वीकृत राशि	उपयोग मे ली गई राशि
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण	195.17	86.91
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र	0.00	0.00
3	वन्यप्राणी प्रबंधन एवं शुद्ध वर्तमान मूल्य	360.14	200.76
4	अन्य	0.00	0.00
5	ब्याज की राशि	6.61	0.34
	योग –	**561.92**	**288.01**

टीप :– भारत सरकार से वर्ष 2017–18 के ए.पी.ओ. का अनुमोदन विलम्ब से प्राप्त होने के कारण इस वर्ष 2018–19 का ए.पी.ओ. माना गया तथा वर्ष 2018–19 के ए.पी.ओ. को वर्ष 2018–19 का अतिरिक्त ए.पी. ओ. मानते हुये मात्र वनीकरण के कार्य ही स्वीकृत किये गये। अतः स्वीकृत राशि में दोनों ए.पी.ओ. की राशि सम्मिलित है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2019–20 – वित्तीय वर्ष 2019–20 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित ए.पी. ओ. में परिशिष्ट–7 अनुसार कार्य प्रचलित हैं। फरवरी 2020 की स्थिति में राशि की उपयोगिता निम्नानुसार तालिका क्रमांक–1.21 में दर्शित है :–

तालिका क्रमाक–1.21

(राशि करोड़ में)

क्र.	शीर्ष	वर्ष 19–20 में स्वीकृत राशि	उपयोग मे ली गई राशि
1	क्षतिपूर्ति (प्रतिपूरक) वृक्षारोपण	134.17	125.43
2	जलग्रहण उपचार क्षेत्र	0.00	0.00
3	वन्यप्राणी प्रबंधन	0.00	0.00
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य	296.79	105.30
5	अन्य	0.00	0.00
6	ब्याज की राशि	22.54	13.46
	योग	**453.50**	**244.38**

तालिका क्रमांक–1.22
प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत वृक्षारोपण

(रकबा हेक्टेयर में)

क्र.	वर्ष	क्षतिपूर्ति रोपण	एन.पी.व्ही. मद से रोपण	1306 मद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति रोपण	योग
1	2017–18	3513.66	0.00	428.53	3942.19
2	2018–19	1907.85	0.00	372.88	2280.73
3	2019–20	5104.86	13470.76	2206.31	20781.93
योग		10526.37	13470.76	3007.72	27004.85

नगर वन योजना

वन भूमि व्यपवर्तन से प्राप्त कैम्पा निधि की 90 प्रतिशत राशि राज्य कैम्पा निधि मे अंतरित होती है तथा 10 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय कैम्पा निधि के अंतर्गत जमा होती है। इस राष्ट्रीय कैम्पा निधि से अन्य योजनाओं के साथ भारत सरकार द्वारा नगर वन उद्यान योजना का संचालन किया जाता है। नगर वन योजना शहरों के समीप नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्र मे स्थित वन भूमि पर स्थापित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी आबादी के लिये नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण रमणीय स्थलों का विकास करते हुये जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का है।

मध्यप्रदेश राज्य मे 05 स्थलों पर नगर वन स्थापित हैं। इनकी वित्तीय प्रगति निम्नानुसार तालिका क्रमांक–1.23 मे दर्शित है –

तालिका क्रमांक–1.23

(राशि लाख में)

क्र.	वनमण्डल	स्थल का नाम	रकबा हेक्टेयर में	स्वीकृत राशि	उपयोग की गई राशि
1	भोपाल	लहारपुर (कटारा हिल्स)	100	199.00	129.52
2	इंदौर	देवगुराडिया (आगरा मुंबई जंक्शन)	100	200.00	110.90
3	जबलपुर	ठाकुरताल	100	200.00	72.22
4	दक्षिण सागर	पथरिया	100	199.60	153.02
5	ग्वालियर	जिन्सी पहाड़ी	50	99.80	59.64
योग –			**450**	**898.40**	**525.30**

क्षेत्र तैयारी वर्ष 2019 –दमोह वनमण्डल

वृक्षारोपण कार्य वर्ष 2018 – सिंगरौली वनमण्डल

जल संरक्षण के कार्य – सतपुड़ा टाईगर रिजर्व, होशंगाबाद

1.4.13 सूचना प्रौद्योगिकी

सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का उपयोग विभागीय कार्यों में गतिशीलता लाने हेतु किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) –

सूचना प्रौद्योगिकी शाखा में जी.आई.एस. तकनीक का प्रयोग वन क्षेत्रों के नक्शों के निर्माण एवं संधारण के लिये किया जाता है।

वनखण्डों के मूल मानचित्रों एवं राजस्व विभाग के खसरेवार उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा का उपयोग कर नक्शे तैयार किये गये हैं। 63 वनमण्डल में से 30 के परिष्कृत मानचित्र तैयार किये गये हैं एवं कार्य आयोजना में समायोजन किया जा चुका है एवं 33 वनमण्डलों के वनक्षेत्रों के मानचित्रों का सुधार कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

विभाग द्वारा मानचित्रों की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के लिये जी.आई.एस. पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है एवं समस्त मानचित्र वेब मैप के माध्यम से वनमंडलों एवं कार्य आयोजना इकाईयों ऑनलाईन प्रदान किया जा रहा है। मैप आई.टी. के माध्यम से अन्य शासकीय संस्थाओं को भी डेटा प्रदाय किया जा रहा है।

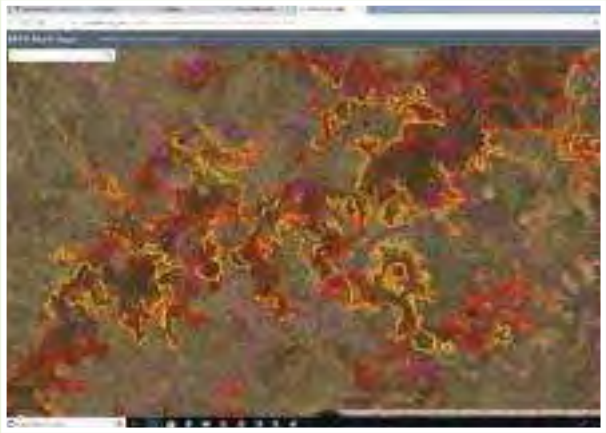

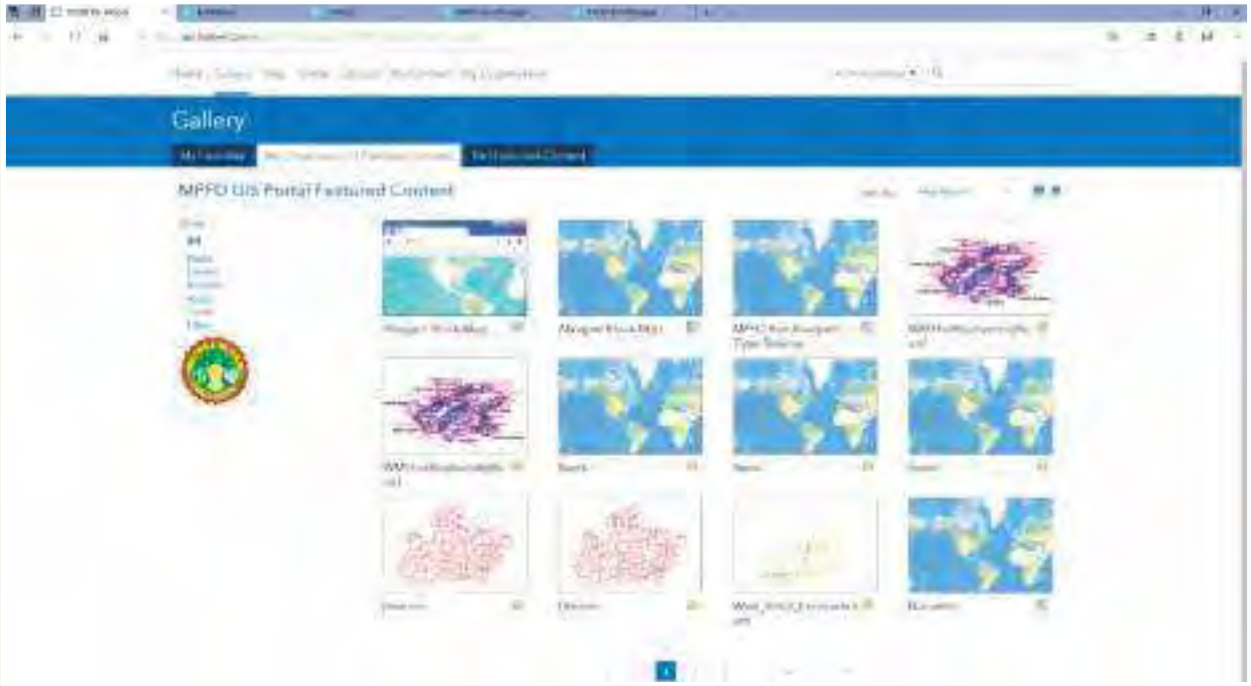

नक्शों की गुणवत्ता सुधार के लिये आर्क जी.आई.एस., मोबाईल जी.आई.एस. का भी उपयोग किया जा रहा है, इसके अंतर्गत 2 मोबाईल ऐप विभाग द्वारा संचालित हैं Survey 123 एवं Collector for ArcGIS ये दोनों एप विभागीय पोर्टल से संचालित होती हैं एवं डेटा रियल टाईम में पोर्टल पर उपलब्ध हो जाता है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पोर्टल पर ऑन–लाईन देखा जा सकता है। इस कार्य हेतु विभागीय क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Login ID एवं Password प्रदाय किये गये हैं।

रिमोट सेंसिंग मध्यप्रदेश के वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा वन आवरण एवं वन घनत्व में होने वाले परिवर्तन एवं वनों की प्रजाति तथा वनों के प्रकार का विश्लेषण किया जा रहा है। उक्त विश्लेषण हेतु NRSC हैदराबाद से प्राप्त की गई Medium Resolution सेटेलाईट इमेजरी LISS-IV (5.8 Meter) एवं Ortho rectified world view - II images का उपयोग कर NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) के माध्यम से Change Detection कर रिपोर्ट तैयार की गई है। NDWI (Normalized Difference water Index) के माध्यम से water masking कर water Bodies का विश्लेषण भी किया गया है। इसी तारतम्य में उमरिया, उत्तर सागर एवं डिण्डोरी वनमण्डल का विश्लेषण कर मैदानी स्तर पर भू सत्यापन हेतु रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है। शेष वनमण्डलों में उक्त कार्य किये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है।

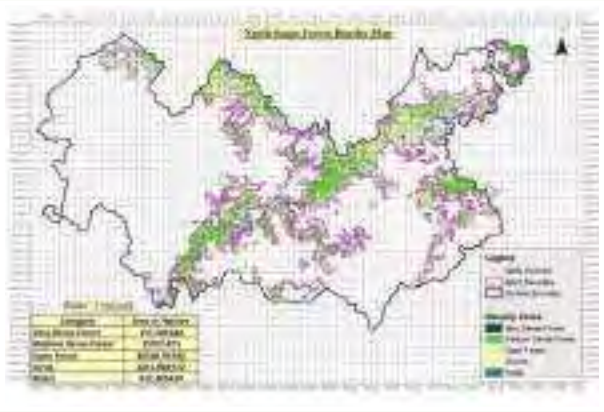

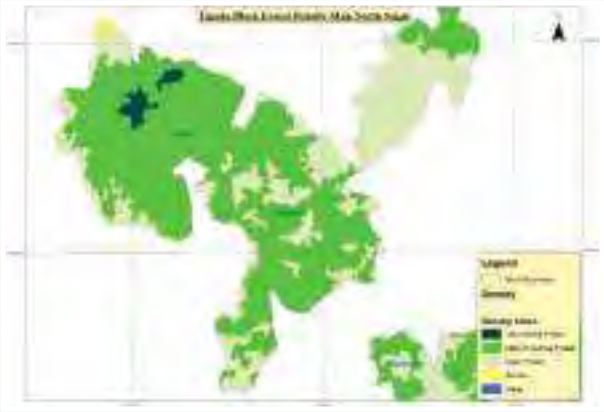

विभागीय वेबसाईट का उन्नयन

विभागीय वेबसाईट में विभागीय अधिनियम, नियम, परिपत्र, अधिसूचनाएँ, दिशा–निर्देश, आदेश, नीतियाँ, न्यायालयीन प्रकरण एवं योजनाओं का संग्रहण किया गया है। विभागीय उपयोग हेतु वन विभाग की शाखाओं, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं वन विद्यालयों की जानकारी भी समाहित की गई है। इसके अतिरिक्त एकल लॉग–इन के माध्यम से विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशनों का सार्वजनिक एवं विभागीय स्तर पर उपयोग किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार के तहत वन विभाग की समस्त शाखाओं से जानकारी एकत्र कर विभागीय वेबसाईट पर शाखावार समाहित किया गया है। इसके अतिरिक्त वन विभाग की अधिसूचनाओं एवं कार्य आयोजनाओं को वनमण्डलवार विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। विभाग द्वारा ओपन सोर्स आधारित कान्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर विभागीय वेबसाईट तैयार कराई जा रही है।

गोपनीय प्रतिवेदन ऑनलाईन लिखने के सॉफ्टवेयर स्पैरो (SPARROW) का क्रियान्वयन

भारतीय वन सेवा अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन विगत 03 वर्षों से ऑनलाईन लेखन का कार्य सफलता पूर्वक किया गया है। वन विभाग मध्यप्रदेश संवर्ग के राज्य वन सेवा के सहायक वन संरक्षक लगभग 350 तथा वन क्षेत्रपाल लगभग 500 से अधिक अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन को आनलाईन लेखन हेतु स्पैरो साफ्टवेयर के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने हेतु राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

गोपनीय प्रतिवेदन स्पैरो सॉफ्टवेयर के माध्यम

से लिखे जाने हेतु सर्वप्रथम अधिकारियों का मूलभूत डेटा एकत्र किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। मूलभूत डेटा एकत्र होने के उपरान्त अधिकारियों के राज्य ई–मेल पॉलिसी अनुसार नाम आधारित ई–मेल एड्रेस सूचना प्रौद्योगिकी शाखा द्वारा जारी किये जायेंगे तथा सम्पूर्ण मूलभूत डेटा को स्पेरो सॉफ्टवेयर में ऑन बोर्डिंग की जायेगी। ऑन बोर्डिंग पूर्ण होने के उपरान्त समस्त अधिकारियों को ऑन–लाईन गोपनीय प्रतिवेदन लेखन हेतु पृथक से प्रशिक्षण दिया जायेगा। तदोपरान्त वर्ष 2019–20 के गोपनीय प्रतिवेदन ऑन–लाईन लिखा जाना प्रस्तावित किया गया है।

वन विभाग में ई.–टेण्डरिंग एवं सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक क्रय

वन विभाग में ई.–प्रोक्योरमेन्ट लागू करने हेतु मध्यप्रदेश शासन ई.–प्रीक्योरमेंट पोर्टल www.mpep-roc.gov.in के स्थान पर नवीन पोर्टल mptenders.gov.in द्वारा ऑनलाईन निविदा जारी करने हेतु राज्य शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। नवीन पोर्टल पर टेण्डर जारी करने की प्रक्रिया को विभाग में क्रियान्वयन करने हेतु सर्वप्रथम विभाग का ऑन बोर्डिंग नवीन पोर्टल पर कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। क्षेत्रीय कार्यालयों को नवीन पोर्टल संबंधी यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रदाय किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है वर्तमान में 05 वनमंडल कार्यालयों के यूजर आई डी बनाए गए है। (1.पेंच नेशनल पार्क 2. अशोक नगर 3.देवास 4. मंदसौर 5. सतना)

भारत सरकार के उपक्रम GeM (Government e-Marketing Plus) https:/gem.gov.in द्वारा क्रय हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों की मांग अनुसार यूजर आईडी तथा पासवर्ड जनरेट किये गये। गवर्न्मेन्ट ई–मार्केट प्लस हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए पैमेन्ट अथोरिटी तथा बायर अथारटी के क्रेडेंशियल्स संबंधित अधिकारी के शासकीय ईमेल तथा आधार एवं मोबाईल नंबर के अनुरुप बनाकर मांग अनुसार ई.मेल तथा एसएमएस के माध्यम प्रदाय किये जा रहे हैं। वर्तमान में 80 से अधिक यूजर आईडी तथा पासवर्ड जारी किये जा चुके है।

वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा

भोपाल मुख्यालय सहित 16 क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों में वीडियों कान्फ्रेंसिंग की सुविधा विकसित है। वीडियो कान्फ्रेंस सुविधा वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गई थी इस सुविधा के माध्यम से नियमित रूप से मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय अधिकारियों से विभिन्न महत्वपूर्ण एवं सामयिक विषयों पर चर्चा आयोजित की जाती है एवं यह सुविधा वर्तमान में भी उपयोग में लाई जा रही है। आगामी वर्ष में इसका उन्नयन किया जाएगा।

विभाग के उपयोगी एप्लीकेशन

वन एवं वन्य प्राणी प्रबंध को प्रभावशील बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नानुसार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित किये गये है :–

फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0

भारतीय वन सर्वेक्षण के पोर्टल फारेस्ट फायर अलर्ट सिस्टम 3.0 की सहायता से वनक्षेत्रों में लगी आग को सेटेलाईट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर बीटगार्ड को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है जिससे कि संबंधित क्षेत्र में वन अमले द्वारा पहुंचकर अग्नि को नियंत्रण कर वनों की रक्षा की जाती है।

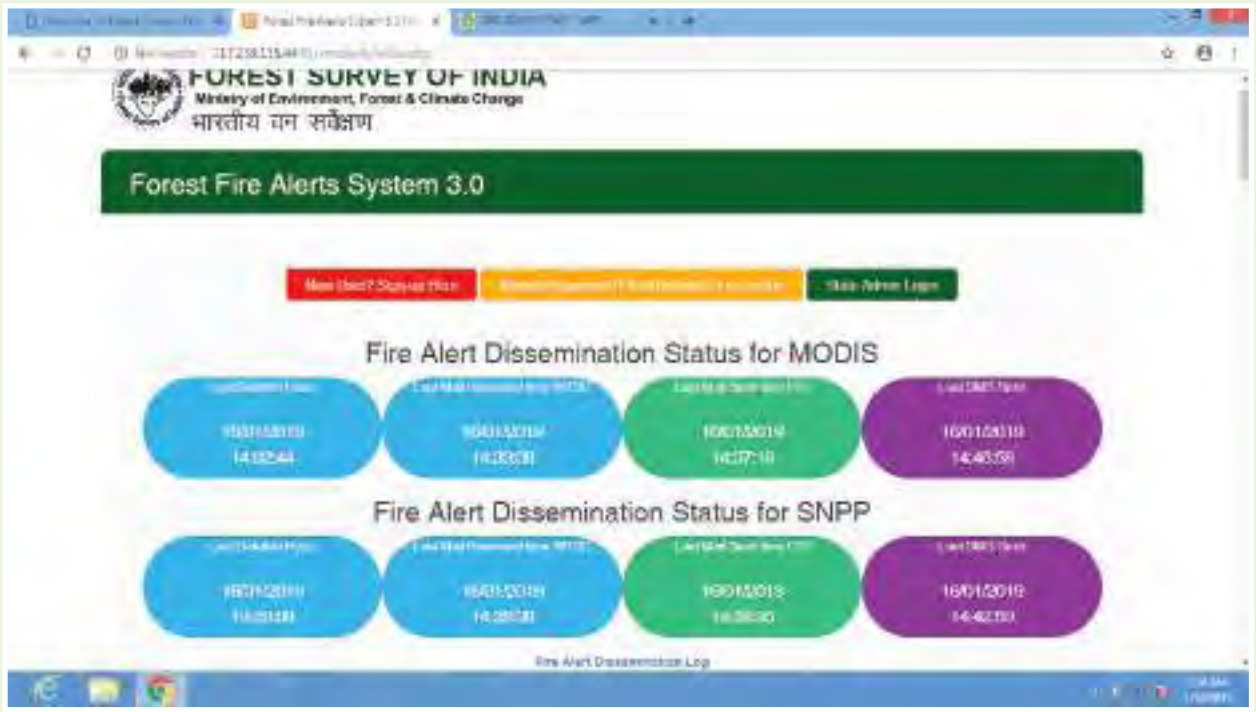

फारेस्ट आफेंस मैनेजमेंट सिस्टम (FOMS)

प्रणाली के माध्यम से वर्षवार पंजीकृत वन अपराधों की जानकारी, परिक्षेत्र वन अपराध पंजी, जांच, अभिसंधान, वसूली एवं कालातीत प्रकरणों की रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है।